BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

SIYARAM MANDAL …APPLICANT

Versus

ELDICO COMPANY & ORS. …RESPONDENTS

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 951 OF 2024

RAJPAL SINGH …..APPLICANT

Versus

ELDICO COMPANY & ORS. ….RESPONDENTS

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 542 OF 2025

AMISHA SINGH …APPLICANT

Versus

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ….RESPONDENTS

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 (IN OA 951 OF 2024)&RESPONDENT NO.6 (IN OA 542 OF 2025) IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	

	ANNEXURES	
2.	**COPY OF THE LETTER DT. 12.08.2024 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1**	
3.	**COPIES OF THE OFFICE MEMO DT. 14.06.2019 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2**	
4.	**COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 16.08.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3**	
5.	**COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 30.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4**	
6.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 10.09.2024 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5**	
7.	**COPY OF THE LIST OF 241 WETLANDS HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 03.12.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

SIYARAM MANDAL **...APPLICANT**

Versus

ELDICO COMPANY& ORS. **...RESPONDENTS**

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 951 OF 2024

RAJPAL SINGH **.....APPLICANT**

Versus

ELDICO COMPANY & ORS. **....RESPONDENTS**

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 542 OF 2025

AMISHA SINGH **...APPLICANT**

Versus

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. **....RESPONDENTS**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 (IN OA 951 OF 2024) &RESPONDENT NO.6 (IN OA 542 OF 2025) IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED AS UNDER:

I. BACKGROUND OF THE MATTER

1. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is considering the issue that Gata no. 508 in village BilwaPargana, Tehsil and District Bareilly is registered as a pond (Jheel) but land Mafia has illegally captured the pond and they are in the process of developing Eldico Colony on the pond area.

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dt. 30.10.2025 directed as under:

   "In these OAs, though State Wetland Authority has been impleaded, but no response on behalf of the State Wetland Authority has been filed. The report which has been filed by the District Magistrate, Bareilly also does not mention in so many words the status reflected in the spot inspection report, Annexure-5."

3. That it is submitted that in the aforesaid matter, the Member Secretary, Uttar Pradesh State Wetland Authority, Lucknow vide letter dated

12.08.2024, has nominated the Deponent as the representative member to participate on behalf of the Authority and to undertake further required proceedings in the matter.

A Copy of the letter dt. 12.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

4. That furtherthe Environment & Climate Change Department, Government of Uttar Pradeshissuedan Office Memorandum dated 14.06.2019. That vide the said memorandum a "District Environment Committee" has been constituted by consolidating the responsibilities of various monitoring committees for comprehensive monitoring of all environmental and pollution-related matters at the district level.

   A Copy of the Office Memorandum dt. 14.06.2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

II. ACTIONS TAKEN

5. That it is most respectfully submitted that a meeting was held on 16.08.2024 of the District Environment Committee under the Chairmanship of the District Magistrate, Bareilly, who is also the Chairperson of the District Wetland Committee, along with all committee members.

6. That in the said meeting, the Assistant Engineer, Bareilly Development Authority informed that the master plan/map of "Eldeco City" constructed at Village Bilwa on Nainital Road was approved by the Bareilly Development Authority in the year 2019, and that Gata No. 508, in which a lake has been shown, is **not included in the approved map**.

7. That the Chairperson of the District Environment Committee/District Magistrate, Bareilly directed the Additional District Magistrate (Finance/Revenue) to conduct a separate meeting in the first week of September 2024, considering the importance of the matter.

   A Copy of the minutes of meeting dt. 16.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3**.

8. That further a meeting was held on 30.09.2024 under the Chairmanship of the District Magistrate, Bareilly, to record the progress in the present matter. That during the said meeting, the Additional District Magistrate (Finance/Revenue) and the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board informed that separate proceedings are being conducted, and the Joint Committee has fixed **10.09.2024** for the joint inspection.

   A Copy of the minutes of meeting dt. 30.09.2024 has been annexed herewith as ANNEXURE R-4

9. That further the inspection of the said site was carried out by the Joint Committee on 10.09.2024. That the said report states the findings of the

various departments alongwiththe member of the U.P. State Wetland Authority.

That the findings of the member of the U.P. State Wetland Authority are as under:

- The said lake lies **outside the boundary** of the developed Eldeco Township.
- The lake is **very small,** and
- It is **not listed** in the Wetland Directory of District Bareilly.

A Copy of the inspection report dt. 10.09.2024 has been annexed herewith as **ANEXURE R-**5

10. Hence, it is submitted that since the alleged lake is **not listed among the 241 notified wetlands of District Bareilly which are covered under** the orders dt. 08.02.2017 and 04.10.2017 passed in W.P. (Civil) No. 230/2001 in the matter of *M.K. Balakrishnan Vs. Union of India &Ors* ,therefore it is a water body not categorised as a wetland in district Bareilly.

A Copy of the list of 241 wetlands has been annexed herewith as **ANNEXURE R-**6

11. That it is relevant to submit here that the said lake does **not** fall under forest area.

12. That it is further submitted that any legal proceedings are required to be undertaken by the **Revenue Department and the District Magistrate**, being the competent authority in this regard.

13. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 03.12.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

SIYARAM MANDAL ...APPLICANT

Versus

ELDICO COMPANY & ORS. ...RESPONDENTS

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 951 OF 2024

RAJPAL SINGH .....APPLICANT

Versus

ELDICO COMPANY & ORS. ....RESPONDENTS

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 542 OF 2025

AMISHA SINGH ...APPLICANT

Versus

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ....RESPONDENTS

NOTARIAL

AFFIDAVIT

I, Diksha Bhandari aged about 38 years D/o Shri Bijendra Singh, presently posted as Divisional Forest Officer, Forest and Wildlife Division, Bareilly do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 3rd day of December, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

ATTESTED K.P. YADAV NOTARY PUBLIC

ATTESTED K.P. YADAV NOTARY PUBLIC

29/11/2025

29 NOV 2025

ANNEXURE R-1

ई–मेल/सुनवाई तिथि 11.11.2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– 11/26–11(UPSWA)–67/2023–24 लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बरेली वन प्रभाग,
बरेली।

फायल संख्या 3554
दिनांक 16/8/24
रजिस्टर क्रमांक 576

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–951/2024 Rajpal Singh Versus ELDICO के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– Judicial (Consultant), NGT का ई–मेल पत्र दिनांक 12.08.2024

महोदया,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में Judicial (Consultant), NGT के संदर्भित ई–मेल पत्र दिनांक 12.08.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–951/2024 बरेली शहर के ग्राम बिलवा में स्थित झील पर एल्डिको कम्पनी द्वारा एल्डिको सिटी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 31.07.2024 को पारित (आदेश और याचिका की प्रति संलग्न) प्रेषित की गई है। मा0 अधिकरण के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आदेश किया है :–

> "5. Hence we implead the following respondents in the matter : i. Member Secretary, UPPCB. ii. District Magistrate, Bareily. iii. RO, MoEF & CC Lucknow. iv. Eldico Company, through its administrative head Eldico City Near Toll Plaza, Nanital Road, Bareilly. v. U.P. State Wetland Authority through its Member Secretary. vi. Bareilly Development Authority.
>
> 6. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing
>
> 9. List on 11.11.2024"

C.C D.F.O 16/08/24

आप अवगत है कि वन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय पत्र संख्या–757/14–4–2009 दिनांक 25.03.2009 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपद के जिलाधिकारियों को जनपद में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु की जानी वाली कार्यवाहियों के लिए गठित जिलास्तरीय समिति का अध्यक्ष तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को सदस्य सचिव नामित किया गया है।

अतएव मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयक वाद में पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु विषयक समिति में सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बरेली के रुप में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की ओर से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको नामित किया जाता है, तथा निर्देश दिए जाते है कि विषयक वाद में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व सदस्य के रुप में प्राधिकरण की ओर से प्रतिभाग सुनिश्चित करने एवं वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/08/24

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

G:\UPSWA Nikesh Sharma\Wetland Letter 2023-24.docx

पत्र संख्या– /उक्तदिनांकित। 138

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति, बरेली।
2. सदस्य–सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

To

G:\UPSWA Nikesh Sharma\Wetland Letter 2023 24.docx

 शासनादेश दि0-14/06/2019

ANNEXURE R-2

5

3745

CCF(CC)

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)

संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016

लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0-306/2016, ओ0ए0 सं0-681/2018, ओ0ए0 सं0-48/2016, ओ0ए0 सं0-1038/2016, ओ0ए0 सं0-673/2018, ओ0ए0 सं0-173/2018, ओ0ए0 सं0-317/2015, ओ0ए0 सं0-200/2014 एवं समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली/सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सम्पादित कार्यवाही का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु निम्न अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाता है-

Scanned with OKEN Scanner

23. समस्त ऑयल एवं गैस कम्पनीज के प्रतिनिधि –सदस्य
24. समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि –सदस्य
25. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –सदस्य
26. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन –सदस्य
27. जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी / प्रतिनिधि (कैन्टॉनमेन्ट बोर्ड, जिला पंचायत, जल निगम, रेलवे, भू–जल, औद्योगिक संगठन, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थानों / विशेषज्ञआदि) –सदस्य
28. जिला वन अधिकारी / प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी –सदस्य संयोजक

(2) जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जायेगी जिसमें जिलाधिकारी व जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक उपस्थित होंगे। जिला पर्यावरण समिति द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी–

(i) उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर विषयवार अनुपालन सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु टैम्पलेट प्रदर्शित होंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उक्त टैम्पलेट पर संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस में सदस्य संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल का लॉग–इन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध टैम्पलेट पर सूचनायें पूर्ण किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे–

क्र0 सं0	अनुपालन हेतु टैम्पलेट का विषय	नोडल अधिकारी
1.	ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन	नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त तथा स्थानीय निकायों हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	ई–वेस्ट प्रबन्धन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उक्त के अतिरिक्त प्रमुख नदियों के क्रिटिकली प्रदूषित नदी खण्ड, अति वायु प्रदूषित 15 शहरों एवं क्रिटिकली / सीरियसली प्रदूषित 09 औद्योगिक समूहों से संबंधित एक्शन प्लान में कार्यवाही के बिन्दु के समक्ष चिन्हित संबंधित विभाग / एजेन्सी द्वारा अनुपालन सूचना निर्धारित टैम्पलेट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।		

Scanned with OKEN Scanner

(ii) सदस्य संयोजक उक्त सूचना के आधार पर बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे तथा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठकोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सदस्य संयोजक का होगा।

(iii) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बैठकोपरान्त अनुपालन सूचना में आवश्यक संशोधन करतें हुये सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से वेब पोर्टल www.upecp.in पर अपलोड करायी जायेगी।

(iv) मण्डलायुक्त के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक हेतु संकलित सूचना एवं जिला पर्यावरण समिति का कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक का एजेण्डा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कर बैठक करायी जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

ग—<u>राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया</u>: मा0 अधिकरणद्वारा पारित विभिन्न आदेशों के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी भी नामित हैं।

(1)मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितियाँ एवं उनके कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं:—

क0 सं0	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
(i)	इम्प्लीमेंटेशन कमेटी	गंगा नदी में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(ii)	रिवर रिजुविनेशन कमेटी	गंगा नदी की समस्त सहायक नदियों में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	कृषि उत्पादन आयुक्त
(iii)	एयर क्वालिटी मानिटरिंग कमेटी	प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराए जाने हेतु कार्यों की प्रगति का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्र0 सं0	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
		अनुश्रवण	
(iv)	राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति	समस्त प्रकार के अपशिष्ट यथा ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–वेस्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन अपशिष्ट के नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण किए जाने की स्थिति का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

उक्त राज्य स्तरीय समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी मासिक प्रगति उक्त राज्य स्तरीय समितियों के लाग–इन पर प्रदर्शित होगी। राज्य स्तरीय विभागीय समितियों द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्याओं व कार्यवृत्तों का अनुश्रवण एवं अध्ययन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगें जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण का संक्षिप्त विवरण, बैठक का एजेण्डा तथा ऐसे समस्त बिन्दुओं तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा ताकि बैठकों का कार्यवृत्त एजेण्डा इत्यादि तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड सुगमता से कराये जा सकें।

(2) कार्यक्रम कियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु नामित किये गये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा अपनें निरीक्षण के दौरान जिला स्तर पर आयोजित बैठक में पर्यावरण अनुपालन के बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक द्वारा पर्यावरण अनुपालन की वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी अद्यतन सूचना बैठक के एजेण्डा सहित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के अंत में वेब पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। नोडल अधिकारी की उक्त टिप्पणी जिला स्तर पर एवं राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर पोर्टल में प्रदर्शित होगी जिसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टिप्पणियों के आधार पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

घ–मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव की उक्त बैठक हेतु पोर्टल में प्रदर्शित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार प्रस्तुत अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं चिन्हित बिन्दु, जिन पर मुख्य सचिव स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, सहित बैठक का एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड़ कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या–13/2019/एन.जी.टी.–257/55–पर्या–2–2019–44(रिट)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/कार्यक्रम क्रियान्वयन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/सिंचाई/ परिवहन/ लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सूचना प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
8. राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
11. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
13. जिलाधिकारी, द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
14. जिला पर्यावरण समिति के समस्त सदस्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां

4

144

दिनांक 16–08–2024 को जिलाधिकारी महोदय, बरेली की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली "जिला पर्यावरण समिति" की बैठक का एजेण्डा

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	विगत माह की बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन/कृत कार्यवाही का विवरण	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4	5
1	जनपद में आहूत जिला पर्यावरण समिति की बैठक की स्थिति।	बैठक में निर्देश हुये कि प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली शासन से जारी निर्देशों के अनुपालन में माह के प्रथम सप्ताह में जिला पर्यावरण समिति की बैठक सुनिश्चित कराये।	दिये गये निर्देशो के कम में जनपद स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित करायी जा रही है। विगत माह की बैठक दिनांक 15–07–2024 को आयोजित करायी गयी थी जिसका कार्यवृत्त upecp.in पर अपलोड किया जा चुका है।	अर्थ एवं संख्याधिकारी/ वन विभाग
2	निर्धारित पोर्टल पर सूचनाये अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित विभागों से सूचनायें प्राप्त कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा टैम्पलेट नियमानुसार अपलोड किया जाये।	जनपद के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनायें उ0प्र0 इन्वायरमेण्ट कम्पलाइंस पोर्टल upecp.in पर निर्धारित टैम्पलेट/डाटा शीट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सूचनायें अपलोड की जा रही है।	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बरेली
3	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन हेतु भूमि प्रबन्धन।**			
3(a)	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार सेनेटरी लैण्डफिल स्थल का चिन्हीकरण/भूमि अधिग्रहण तथा स्थल विकास की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये किः– यह प्रकरण विगत 07 माह से लम्बित चला आ रहा है। प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगर निगम बरेली दोनो संस्थाएं SEIAA से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराये। इस सम्बन्ध में पत्र जारी करते हुये अगले दिन तक अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।	ग्राम सथरापुर में 10.422 हे0 भूमि कय कर 500 टी.पी.डी. क्षमता का कम्पोस्ट एवं आर0डी0एफ0 प्लांट तह0 फरीदपुर ग्राम सथरापुर में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा कराया जा रहा है। प्लांट स्थल पर सिविल वर्क लगभग 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति के टी0ओ0आर0 (टर्म ऑफ रिफेन्सिस) के सम्बन्ध में उपनिदेशक/नोडल एस0आई0आई0ए0ए0 एवं सदस्य सचिव महोदय से सम्पर्क किया गया,परन्तु उनके स्तर से स्पष्ट प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुये, तत्कम में निदेशक एस0आई0ए0ए0 पर्यावरण निदेशालय,लखनऊ को टी0ओ0आर0 जारी कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय बरेली के स्तर से दिनांक 01–08–2024 को पत्र निर्गत किया गया है।	नगर निगम/अपर जिलाधिकारी (प्रभारी स्थानीय निकाय) /सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली/सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम बरेली।
3(b)	स्थानीय निकाय से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु पृथक्कीकरण, एकत्रण, परिवहन, कम्पोस्टिंग /आर0डी0एफ0, वेस्ट इनर्जी आदि की स्थिति का विवरण।	नगर निगम व समस्त नगर निकायो में सभी वार्डो के अन्तर्गत ठोर–टू–डोर ठोस अपशिष्ट का कलैक्शन कर अंतिम निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये, इसके अतिरिक्त आगामी बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी व परियोजना निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 को भी बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जायें। नगर	जनपद बरेली के समस्त नगर निकायो के 292 तथा नगर निगम के 80 वार्डो कुल 372 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। 19 नगर निकायो में एम0आर0एफ0 सेंटर की स्थापना कर एम0आर0एफ0 सेंटर हेतु आवश्यक मशीने कय कर स्थापित की जा चुकी है। नगर निकायो द्वारा डोर–टू–डोर घरो से ही गीला व सूखा कूडा कलैक्शन कर एम0आर0एफ0 सेंटरों पर सूखे कूडे को कस्ट व गीले कूडे की कम्पोस्टिंग कर कूडा निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।	नगर निगम/स्थानीय निकाय

Scanned with OKEN Scanner

		स्वास्थ्य अधिकारी डोर–टू–डोर कूडा कलैक्शन के कार्यो का चैक करेगें तथा समिति को अवगत करायेंगे।	नगर [illegible]50 मी0टन कूडा जनित हो रहा है, नगर निगम द्वारा समस्त 80 वार्डो को 04 जोन में बांटा गया है जिसमें जोन 1 व 3 में निजी एजेंसी के माध्यम से व जोन 2 व 4 में नगर निगम द्वारा 1,20,000 घरो से कूडा कलैक्शन का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिये 400 रिक्शे व 80 आटो टिपर प्रयोग में लाये जा रहे है। नगर निगम द्वारा 10 एम0आर0एफ0 सेंटरों का निर्माण कराया गया है जिनमें आवश्यक मशीनरी व संयंत्र स्थापित किये जा चुके है। 05 एम0आर0एफ0 सेंटर का संचालित व रख–रखाव हेतु टैंण्डर आमंत्रित किये गये है। नगर निगम द्वारा, गंदगी फैलाने ,डेरी संचालन में अनियमितता के सम्बन्ध में माह जुलाई 2024 में मु0रू0 1.02 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।	
	थानीय निकाय में पूर्व से एकत्रित ठोस अपशिष्ट (लिगेसी वेस्ट) के निस्तारण की स्थिति।	लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित की जाये।	बाकरगंज में पूर्व से निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित है, जिसकी ऑकलित मात्रा लगभग 5.75 लाख मी0टन लिगेसी वेस्ट था जिसका पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है।	नगर निगम बरेली /प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	कन्शट्रक्शन डिमोलेशन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति :–			
	कन्शट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के निस्तारण एवं पुर्नचकित किये जाने हेतु अनुपालन की स्थिति।	————————	नगर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 80 मी0टंन सी0 एण्ड डी0 वेस्ट को 06 स्थलों पर एकत्र किया जाता है, जहां से अनुबन्धित निजी संस्था के माध्यम से निस्तारित कराया जाता है। कन्सट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के पुर्नचकित किये जाने के लिये लगभग 04 एकड क्षेत्रफल भूमि पर वार्ड नं0 37 नदौसी, मथुरापुर, कान्हा उपवन के समीप स्थल का चिन्हीकरण कर प्लांट का निर्माण किय जा रहा है। प्लांट को चलाने के लिये टैंडर आमंत्रित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था जो कि स्वीकृत हो गया है। सी0एण्ड डी0 वेस्ट को अलग करने के लिये नीति बनाने व लागू करने सम्बन्धी डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है जो कि स्वीकृति हेतु लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित किया गया है।	नगर निगम/स्थानीय निकाय/ हाऊसिंग एवं टाउन प्लानिंग / पी0डबलू0डी0 / यू0पी0 एस0 आई0 डी0 सी0/जल /सेतु निगम/ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम।
4(b)	निर्माण परियोजनायें जिनके द्वारा 20 टन/दिन अथवा 300 टन/प्रोजेक्ट प्रति माह वेस्ट जनित होना है, के चिन्हीकरण की स्थिति तथा निस्तारण हेतु निर्धारित धनराशि का नोटिफिकेशन	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी0एण्ड डी0एस0 इस सम्बन्ध में यदि लिखित रूप से अवगत करा दे कि जनपद में 20टन/दिन अथवा 300 टन/प्रोटेक्ट प्रतिमाह जनित करने वाली कोई भी परियोजना चिन्हित नहीं है तो तद्नुसार इस बिन्दु को एजेण्डा बिन्दु से हटा दिया जायें।	जनपद में 20 टन/दिन अथवा 300 टन/प्रोजेक्ट प्रति माह वेस्ट जनित करने वाली कोई बडी परियोजना अभी चिन्हित नहीं है।	जल निगम,बरेली/नगर निगम/लोक निर्माण विभाग /सेतु निगम बरेली/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति**			
5(a)	प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल–2016 के नियम 05 के अनुसार प्लास्टिक के पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निस्तारण	सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलिथिन बनाने वाली इकाइयो को चिन्हित किया जाये तथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अभियान जारी रखा जाये।	नगर निगम व स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट से प्लास्टिक पृथक कर एम0आर0एफ0 सेंटर पर स्थापित मशीनो के माध्यम क्रस्ट कर स्थानीय स्तर पर विक्रय कर दिया जाता है। प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित की जा रही है। हार्टमेन पुल के पास 02 टी0पी0डी0 क्षमता की प्लास्टिक पैलेटस मशीन	समस्त नगर निकाय व नगर निगम

Scanned with OKEN Scanner

			को लगाया गया है जो कि रियूज्ड प्लास्टिक से दाना तैयार किया जा रहा है। नगर निगम व स्थानीय निकायो द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किये जाने हेतु लोगो को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। माह जुलाई 2024 में पॉलीथिन जब्तीकरण के सापेक्ष रू0 3.435 लाख का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूल किया गया है।	
	प्रोड्यूसर/रिसाईकलर/मैन्यूफैक्चरर/इम्पोर्टर/ब्राण्ड आनर का चिन्हीकरण तथा निस्तारण की स्थिति।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली 03 सप्ताह में निरीक्षण कर आगामी बैठक में अवगत कराये कि जनपद में मैन्यूफैक्चरर/प्रोड्यूसर नहीं है। रिपोर्ट सूची के साथ प्रस्तुत करें।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में जनपद बरेली में चिन्हित 16 ब्राण्ड ऑनर/प्रोड्यूसर इकाईयो को चिन्हित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है:- 1-मैसर्स किसान सहाकारी चीनी मिल्स लि0,सेमीखेडा (नोटिस प्रेषित) 2-मैसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 फरीदपुर (नोटिस प्रेषित) 3-मैसर्स बाडीलाल इण्ड0लि0 परसाखेडा 4-मैसर्स इफ्को,आंवला। 5-मैसर्स धामपुर बायो ऑग्रेनिक लि0 मीरगंज। 6-मैसर्स ओसवाल ओवरसीज लि0 (शुगर मिल) नबाबगंज। (नोटिस प्रेषित) 7-मैसर्स ओरिएन्टलं एरोमेटिक सी0बी0गंज। 8-मैसर्स केसर इण्टरप्राइसेस लि0शुगर यूनिट बहेडी। 9-मैसर्स बरेली दुग्ध उत्पादन समिति,करगैना। (नोटिस प्रेषित) 10-मैसर्स सुपीरियर इण्ड0 लि0 सी0बी0गंज। 11-मैसर्स बी0एल0एग्रो0 प्रा0लि0 परसाखेडा। 12-मैसर्स वृन्दावन बेबरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 13-मैसर्स नगर निगम स्लॉटर हाउस। 14-मैसर्स रहबर फूड प्रा0लि0 मोहनपुर ठिरिया। (नोटिस प्रेषित) 15-मैसर्स एन0पी0 एग्रो प्रा0लि0 फरीदपुर। (नोटिस प्रेषित) 16-मैसर्स अशोका फोम प्रा0लि0 फरीदपुर। उक्त 16 इकाईयों मे से 10 इकाईयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्लास्टिक रिसाईकलर से एग्रीमेंट किया गया है। शेष 06 इकाईयो कों नोटिस प्रेषित किया गया है।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उपायुक्त उद्योग बरेली/पी0डी0 डी0आर0डी0ए0 बरेली।
6	**ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति-**			
6(a)	जनपद में जनित ई-वेस्ट का निस्तारण ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार जनपद में स्थापित ई-वेस्ट ई-वेस्ट के भण्डारण/निस्तारण की स्थिति।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ई-वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की ओर से एक पत्र जिसमें एजेन्सी का नाम,पता,मो0नं0 आदि अंकित हो ,समस्त विभागो को प्रेषित कर दिया जाये तथा इसकी सूचना सम्बन्धित एजेन्सी को भी दे दी जायें।	जनपद बरेली में मैसर्स इकोटेकग्रीन एसोसियेट प्रा0लि0, जमौर, शाहजहांपुर द्वारा नगर निगम, बरेली के अन्तर्गत ई-वेस्ट रिसाइकलर का कार्य किया जा रहा है। उक्त संस्थान ई-वेस्ट रिसाइकलर हेतु अधिकृत है तथा कलेक्शन सेन्टर हार्टमैन ब्रिज के पास स्थापित है। प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग लगवाये गये है। संस्था के प्रबन्धक श्री सर्वेश सचान जिनका मो0नं0 7379559428 है। समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में समस्त विभागो को जिलाधिकारी बरेली के स्तर से पत्र सं0 414/ई-वेस्ट दिनांक 02-08-2024 द्वारा पत्र निर्गत कर एजेन्सी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।	नगर निगम/ प्रदूषण बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति

जनपद में स्थापित/संचालित हेल्थ केयर फैसेलिटीज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण करते हुये, नियम 04 के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, की अद्यतन /अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि :– जनपद बरेली में वायो मेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जनपद में वायो मेडिकल वेस्ट का कलैक्शन व निस्तारण करने वाली एजेन्सी की कार्य प्रणाली को समय–समय पर निरीक्षण कर चैक किया जाये, कि संस्था द्वारा सही प्रकार से नियमानुसार वाये मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है अथवा नही। साथ ही हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर का भी औचक निरीक्षण किया जाये। उक्त निरीक्षणों की संख्या प्रत्येक मासिक बैठक के अवगत करायी जायें।	(see table and text below)	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मुख्य चिकित्साधिकारी/मु0प शुचिकित्साधिकारी बरेली।

जनपद का नाम	चिन्हित एच0सी0एफ0 की संख्या	अनुबन्धित एच0सी0एफ की संख्या/प्राधिकार की संख्या	निरीक्षण की संख्या	दोषी के विरूद्व कर्यावाही की संख्या
बरेली	बेडेड–642, नॉन बेडेड–444ए कुल–1087	825	12	–

जनपद में मै0 एनविराड मेडिकेयर प्रा0लि0, रोड नं0–4, परसाखेडा, बरेली द्वारा जनपद के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 एवं निजी अस्पतालों से जनित वायो मेडिकल वेस्ट का कलैक्शन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। एजेंसी की कार्य प्रणाली का निरीक्षण दिनांक 03–08–2024 को किया गया जिसमें उक्त संस्था सुचारू रूप से संचालित पायी गयी।

नगर निगम द्वारा रू0 0.05 लाख का जुर्माना जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन सही प्रकार न करने के सम्बन्ध में अधिरोपित किया गया है ।

जनपद में प्रवाहित ड्रेन्स एवं स्थापित/संचालित/निर्माणधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की समीक्षा

a)	राम गंगा नदी के कैचमेन्ट एरिया में चिन्हित 03 ड्रेन्स को क्लीन किया जाना है।	————————	(see table and text below)	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नगर निगम, नगर विकास/सिंचाई खण्ड व बाढ खण्ड/समस्त स्थानीय निकाय।

जनपद का नाम	जनपद में प्रवाहित नदियों की सं0, नाम तथा लम्बाई	ड्रेन्स के अन्तर्गत चिन्हित ड्रेन	अन्य ड्रेन	टिप्पणी
बरेली	01–रामगंगा लम्बाई–75 किमी0	03 देवरानिया, सथरापुर (नकटिया), म्यूनिसिपल (चौबारी) ड्रेन	–	–

नगर निगम बरेली में 15 नाले चिन्हित किये गये है। इन नालो में लगभग 129.68 एम0एल0डी0 डिस्चार्ज होता है। रामगंगा व नकटिया नदी में गिरने वाले चिन्हित किये गये नालो को नदी में गिरने से पूर्व माइकोबिएल बायोरेमिडिएशन विधि से शोधन नगर निगम द्वारा किया जाता है। उक्तानुसार चिन्हित किये गये नालो की सेम्पल टैस्टिंग माह मई 2024 में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा कराया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण व संचालन की स्थिति तथा ड्रेन्स की टेपिंग की स्थिति कि जनपदवार समीक्षा।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य हेतु जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत 30 या अधिक एम0एल0डी0 का एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करते हुये प्रेषित किया जाये तथा इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी बरेली को भी प्रेषित की जाये।

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार चिन्हित नाले व एस0टी0पी0 से टैपिंग की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

क.स.	नालों का नाम	नाले का डिस्चार्ज एम0एल0डी0 में	किस नदी से मिलता है	नालों को टैप कर एस.टी.पी. में शोधन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	धौरेरा माफी बैरियर नाला	1.535	नकटिया नदी	42 MLD STP
2	सैटेलाइट बस स्टैण्ड नाला	9.899	नकटिया नदी	42 MLD STP
3	हरूननगला नाला	2.509	नकटिया नदी	42 MLD STP
4	ग्रीन पार्क नाला		नकटिया नदी	42 MLD STP
5	एयरफोर्स नाला	0.993	किला नदी	01 MLD STP
6	किलापुल नाला	1.431	किला नदी	
7	साहू गोपी नाथ नाला	10.689	किला नदी	
8	100 फुंटा रोड नाला	16.61	नकटिया नदी	42 MLD STP
9	जगतपुर पुलिस चौकी नाला	15.95	नकटिया नदी	42 MLD STP
10	बिहारीपुर नाला	15.41	किला नदी	
11	जी0पी0 टोला नाला	16.03	किला नदी	
12	कृष्ण हॉस्पिटल नाला 1 व2	11.75	किला नदी	
13	गुलाब नगर नाला	16.56	किला नदी	
14	चौकी अशरफ से किला नदी नाला		किला नदी	
15	चौबारी नाला	10.33	रामगंगा	20 MLD STP

चिन्हित नालों से अभी तक 08 नाले ही टैप किय गये है। शहरी क्षेत्र में इन नालो से कुल डिस्चार्ज लगभग 130 एम0एल0डी0 है, इसके सापेक्ष बनाये गये एस0टी0पी0 35 एम0एल0डी0 सरायतल्फी , 01 एम0एल0डी0 त्रिशूल एयरवेस, 42 एम0एल0डी0 हारूनगला एवं 20 एम0एल0डी0 चौबारी में स्थापित संचालित है जिसकी कुल क्षमता 98 एम0एल0डी0 ही है। इस प्रकार कुल 130-98=32 एम0एल0डी0 प्रवाह का अन्तर है।

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अभी कोई सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण व शहरी/ नगर निगम,बरेली ।

Scanned with OKEN Scanner

9	**फलड प्लेन एरिया का निर्धारण तथा नदियों के ई–फ्लो मेन्टेन किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा**			
9(a)	राम गंगा नदी में 25 वर्ष के अन्तर्गत अधिकतम फलड प्लेन एरिया को कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाना तथा फलड प्लेन एरिया से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्यो को प्रतिबन्धित किये जाने की संख्या।	————————	जनपद का नाम / जनपद में प्रवाहित रामगंगा नदी की लम्बाई (कि0मी0) तथा फलड प्लेन एरिया चिन्हाकन / चिन्हित निर्माण कार्यो की संख्या / कार्यवाही सं0 बरेली / लगभग–75 किमी0 फलड प्लेनं एरिया चिन्हाकन–0 / 00 / 00 रामगंगा नदी बाढ क्षेत्र (Flood plane zone) का सीमांकन का कार्य एन0आई0एच0 (National Institute of Hydrology) द्वारा किया जा रहा है, उक्त कार्य हेतु धनांवटन प्राप्त हो चुका है। एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त कार्य माह मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।	बाढ खण्ड/ एम0डबलू0आर,/ सी0डबलू0सी0 यू0पी0 सेन्टर,/ राजस्व विभाग
10	**बायोमास/काप रेजिड्यूज/गार्वेज दहन से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा**			
(a)	जनपद में काप रेजिड्यूज/पराली दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा	————————	काप रेजिड्यूज/पराली दहन से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।	कृषि विभाग/राजस्व विभाग
(b)	जनपद में बायोमास/गार्वेज दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि बायोमास/गार्वेज दहन पर निरंतर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जायें।	बायोमास/गार्वेज दहन की कोई घटना प्रकाश में नही आयी ।	नगर निगम/स्थानीय निकाय/उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड।
11	**औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा**			
(a)	जनपद में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था यथा ई0एस0पी0/ए0पी0सी0एस0 की स्थिति एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम /बेव कैमरा के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा	समिति द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली को निर्देश दिये गये कि निरीक्षण किये गये औद्योगिक इकाईयो की सूची समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। मुख्य विकास अधिकारी बरेली को निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किये गये इकाईयों का पुनः सत्यापन करा लिया जाये कि निरीक्षण मानक के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं ।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा औद्योगिक इकाईयों के किये गये निरीक्षण की सूची निम्न प्रकार है:– 1–एरोमेटिक सी0बी0गंज। 2–व्रॉडीलाल इण्डस्ट्रीज परसाखेडा। 3–वृन्दावन वेवरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 4–यू0पी0गैस केमिकल भोजीपुरा। 5–प्रीमियम एग्रो फूडस लिमिटेड फरीदपुर। 6–इफ्को लिमिटेड आवंला। 7–आर0एस0 फूड परसाखेडा। उक्त औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी बरेली द्वारा कराया गया जिसमें 7 में से 6 इकाईयों में निरीक्षण की पुष्टि की गयी । क.स. 7 पर अंकित इकाई द्वारा निरीक्षण की पुष्टि नहीं की गयी।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(b)	जनपद में ईट भट्टों के जिग–जैग में परिवर्तित किये जाने तथा ईट भट्टों में प्रयोग किये जा रहे ईधन की स्थिति की समीक्षा	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ईट भट्टों द्वारा अपनी चिमनी को जिंग जैग चिमनी में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है उनकों नोटिस देकर बंद कराया जाये।	जनपद में कुल 315 भटटे चिन्हित किये गये है। बरेली शहर सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में कुल 27 ईंट भट्टा चिन्हित किये गये था जिनमें से 12 भटटों द्वारा चिमनी को जिग जैग में परिवर्तित कर लिया गया है। शेष समस्त भटटों का बंद कर दिया गया है।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

	रोड डस्ट सस्पेंशन/सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना			
	सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना।	———	नगर निगम द्वारा रोड डस्ट ससपेंशन को कम करने हेतु कार्य कराये जा रहे है जिसमें मुख्य सडकों पर सुबह शाम स्वीपिंग व पानी का छिडकाव किया जा रहा है।	नगर निगम व स्थानीय निकाय
13	वाहनों से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु किये गये उपायों की समीक्षा स्थिति			
	प्रदूषणकारी वाहनों के सम्बन्ध में जन जागरूकता जागृति करना तथा दोषी वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदूषणकारी वाहनो को चैक किया जाये तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाये।	माह जुलाई 2024 में 76 चालान माह तक कुल 295 चालान।माह में रू0 0.76 लाख कमिक–2.52 लाख जुर्माना वसूल किया गया है।	सम्भागीय परिवहन विभाग/ यातायात पुलिस
अन्य बिन्दु	मा0 एन0जी0टी0,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 951/2024 राजपाल सिंह बनाम एल्डिकों के सम्बन्ध में।	———	नैनीताल रोड पर ग्राम बिल्वा में झील पर एल्डिकों सिटी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	राजस्व/बी0डी0ए0

वृक्षारोपण (पौधारोपण) कार्यो की समीक्षा।

1– वर्ष 2024–25 में रोपण प्रगति की स्थिति:– वर्ष 2024–25 में भी सम्पूर्ण प्रदेश में 36.50 करोड नवीन लक्ष्यों के अनुसार पौधारोपण किया गया जिसके सापेक्ष विभागवार प्रगति संलग्न है।

2– वर्ष 2024–25 में रोपित पौधों के सापेक्ष जीयो टैग की स्थिति:– वर्ष 2024–25 में किये गये रोपण के सापेक्ष विभागवार जीयो टैगिंग का विवरण संलग्न है।

3– रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना:– पूर्व के वर्षो में एवं वर्तमान वर्ष 2024 में रोपित किये किये पौधों की सिंचाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सभी विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से व्यापक दिशा–निर्देश सभी विभागो को निर्गत किये जा चुके है। अतः रोपित किये गये पौधों की पर्याप्त सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायें।

4–वर्ष 2017 से 2023 तक रोपित पौधों की जीवितता प्रतिशत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा वर्ष 2017 से 2023 तक रोपित पौधों के सापेक्ष जीवितता प्रतिशत की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है जिसके कम में बेसिक शिक्षा,लोक निर्माण विभाग,उद्योग विभाग, प्राविधिक शिक्षा,श्रम विभाग,उद्यान,सहकारिता,गृह विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है। शेष विभाग 02 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9–अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की सहमति सें:–

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 16–08–2024 को जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिला पर्यावरण समिति की बैठक का कार्यवृत

151

आज दिनांक **16.08.2024 (शुक्रवार)** को जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में **जिला पर्यावरण समिति** की बैठक का आयोजन सांय 05.00 बजे से विकास स्थित सभागार में किया गया जिसमें निम्न अधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1–श्री रविन्द्र कुमार जिलाधिकारी बरेली। **(अध्यक्ष) 09454417524**
2–श्री जग प्रवेश मुख्य विकास अधिकारी बरेली। 09454464642
3–श्रीमती दीक्षा भण्डारी,प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली। 07839435119
4–श्री शिवराज सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली। 09454401032
5–श्री चन्द्रेश कुमार क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली। 7839891814
6–श्री राजीव राठी पर्यावरण अभियंता नगर निगम बरेली। 070555519633
7–मो0 हसीब अन्सारी उपायुक्त श्रम एवं रोजगार बरेली। 08765983053
8–श्री दिनेश कुमार यादव जिला विकास अधिकारी बरेली। 09454464644
10–डा0 भानु प्रकाश नगर स्वास्थ्य अधिकारी बरेली। 9412556092
11–श्री देवकी सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली। 9454459296
12–श्री संजय सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली। 9453004109
13–श्री ब्रजेश सिंह परिहार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता बरेली। 9456237773
14–सुश्री रितुशा तिवारी जिला कृषि अधिकारी बरेली। 7839882599
34–श्री कमल किशोर जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली। 8400030911
35–श्री एओके0 श्रीवास्तव जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बरेली। 8303111161
36–श्री मनोज कुमार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड–1 बरेली। 9415901649
9–डा0 पवन कापली स्वास्थ्य विभाग। 9052010800
15–श्री बाल गोविन्द ए0एल0सी0। 7060057686
16–श्री पी0के0 वर्मा सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी बरेली। 9473942257
17–श्री खिजर शकील सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण बरेली। 7906910407
18–डा0 विकास वी0पटेल सहायक प्रोफेसर/प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग बरेली। 9412566520
19–सुश्री अर्चना पालीवाल सहायक उपयुक्त उद्योग बरेली। 7669978335
20–सुश्री/श्रीमती प्रियंका मिश्रा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नबाबगंज। 8189078021
21– सुश्री/श्रीमती सपना भारद्वाज अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ठिरिया/रिछा। 8189078032
22–श्री वी0पी0 सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बहेडी,नगर पंचायत फरीदपुर व शेरगढ। 7455857744
23–श्री अहमद हसन नगर पालिका बहेडी। 7460810986
24–श्री अजय कुमार यादव सहायक अभियंता बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। 8272080603
25–श्री दुर्गेश सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत देवरनियां।
26–श्री राजन नाथ तिवारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरौली। 8189078033।

Scanned with OKEN Scanner

152

27–श्री अमित किशोर बाढ खण्ड बरेली। 7599123404
28–श्री रनवीर सिंह सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बरेली। 7017941817
29–डा0 मो0 आलम को–ऑर्डिनेटर डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इण्डिया। 7906013086
30–श्री दिलीप कुमार सहायक अभियंता उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 बरेली। 8449173417
31–श्री ओमकार सिंह सहायक अभियंता निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0 बरेली। 9458813572
32–डा0 ओ0पी0 वर्मा उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बरेली। 9935826035
33–श्री रमेश चन्द्र प्रजापति प्रतिनिधि परिवहन विभाग। 8005441288
37–श्री हम्मीर सिंह प्रवक्ता राजकीय पॉलीटैक्निक बरेली। 09458001326
38–श्री रामसिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली। 09719479960
39–श्री मनोज तिवारी प्रतिनिधि कैण्टोनमेंट बोर्ड बरेली। 9411918791
40–श्री जितेन्द्र कुमार ।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/2019/एन0जी0टी0–257/ 55–पर्या– 2–2019 –44(रिट)/2016 लखनऊ दिनांक 14.06.2019 के क्रम में प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के पत्रांक 18/2019/एन0जी0टी0–326/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई, 2019 के द्वारा राज्य स्तर पर अनुश्रवण प्रकिया का रोस्टर निर्धारित किया गया है जिसके कम में जिला पर्यावरण समिति का गठन कर समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में जिला पर्यावरण समिति की बैठक का आयोजन उक्त दिनांक 16–08–2024 को किया गया जिसमें निम्न प्रकार से बिन्दुबार समीक्षा की गयी:–

क0सं0	एजेण्डा बिन्दु	समीक्षा/कृत कार्यवाही का विवरण	बैठक में दिये गये निर्देश
1	ग्राम सथरापुर में 10.422 है0 भूमि क्रय कर 500 टी.पी.डी. क्षमता का कम्पोस्ट एवं आर0डी0एफ0 प्लांट ग्राम सथरापुर तह0 फरीदपुर में निर्माणाधीन प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति।	ग्राम सथरापुर में 10.422 है0 भूमि क्रय कर 500 टी.पी.डी. क्षमता का कम्पोस्ट एवं आर0डी0एफ0 प्लांट तह0 फरीदपुर ग्राम सथरापुर में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कम में पर्यावरण अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक एस0आई0ए0ए0 पर्यावरण निदेशालय,लखनऊ को टी0ओ0आर0 जारी कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01–08–2024 को पत्र निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त मा0 मंत्री जी से वार्ता की गयी,उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बैठक आयोजित कराये जाने का आश्वासन दिया गया।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही– नगर आयुक्त/अधिशासी अभियंता डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम बरेली/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2	स्थानीय निकाय से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु डोर–टू–डोर कूडा कलैक्शन पृथक्कीकरण, एकत्रण, परिवहन, कम्पोस्टिंग /आर0डी0एफ0, वेस्ट इनर्जी आदि के सम्बन्ध मे।	बैठक में पर्यावरण अभियंता नगर निगम व स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि डोर जनपद बरेली के नगर निगम के 80 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है जिनमें 10 एम0आर0एफ0 सेंटर के माध्यम से पृथक्कीकरण कर निस्तारण किया जाता है। पहले 60 स्थलों पर कूडा गिराया जाता था जिसमें 45 स्थलों को विलोपित कर वहां सौदर्यीकरण करा दिया गया है। वर्तमान में अब 15 स्थलों पर ही कूडा गिराया जाता है। डोर–टू–डोर कूडा कलैक्शन का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाता है। नगर निगम द्वारा, गंदगी फैलाने ,डेरी संचालन में अनियमितता के सम्बन्ध में माह जुलाई 2024 में मु0रू0 1.02 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही– नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका।
3	प्लास्टिक के पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निस्तारण की स्थिति।	बैठक में पर्यावरण अभियंता नगर निगम बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित की जा रही है। हार्टमैन पुल के पास 02 टी0पी0डी0 क्षमता की प्लास्टिक पैलेटस मशीन को लगाया गया है जो कि रियूज्ड	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि:– सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलिथिन जब्त करने की कार्यवाही सतत रूप से सुनिश्चित की जाये तथा

Scanned with OKEN Scanner

		प्लास्टिक से दाना तैयार किया जा रहा है। नगर निगम व स्थानीय निकायो द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किये जाने हेतु लोगो को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। माह जुलाई 2024 में पॉलीथिन जब्तीकरण के सापेक्ष रू0 3.435 लाख का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूल किया गया है।	तद्नुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायें। **कार्यवाही–** नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका।
4	प्लास्टिक के प्रोड्यूसर /रिसाईकलर /मैन्यूफैक्चरर / इम्पोर्टर/ब्राण्ड आनर का चिन्हीकरण तथा निस्तारण की स्थिति।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में जनपद बरेली में चिन्हित 16 ब्राण्ड ऑनर/प्रोड्यूसर इकाईयो को चिन्हित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है:– 1–मैसर्स बाडीलाल इण्ड0लि0 परसाखेडा। 2–मैसर्स इफ्को,आंवला। 3–मैसर्स धामपुर बायो ऑग्रेनिक लि0 मीरगंज। 4–मैसर्स ओरिएन्टल एरोमेटिक सी0बी0गंज। 5–मैसर्स केसर इण्टरप्राइसेस लि0शुगर यूनिट बहेडी। 6–मैसर्स सुपीरियर इण्ड0 लि0 सी0बी0गंज। 7–मैसर्स बी0एल0एग्रो0 प्रा0लि0 परसाखेडा। 8–मैसर्स वृन्दावन बेबरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 9–मैसर्स नगर निगम स्लॉटर हाउस। 10–मैसर्स अशोका फोम प्रा0लि0 फरीदपुर। 11–मैसर्स रहबर फूड प्रा0लि0 मोहनपुर ठिरिया। (नोटिस प्रेषित) 12–मैसर्स एन0पी0 एग्रो प्रा0लि0 फरीदपुर। (नोटिस प्रेषित) 13–मैसर्स किसान सहाकारी चीनी मिल्स लि0,सेमीखेडा (नोटिस प्रेषित) 14–मैसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 फरीदपुर (नोटिस प्रेषित) 15–मैसर्स ओसवाल ओवरसीज लि0 (शुगर मिल) नबाबगंज। (नोटिस प्रेषित) 16–मैसर्स बरेली दुग्ध उत्पादन समिति,करगैना। (नोटिस प्रेषित) उक्त 16 इकाईयों मे से 10 इकाईयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्लास्टिक रिसाईकलर से एग्रीमेंट किया गया है। शेष 06 इकाईयो कों नोटिस प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा जानकारी चाही गयी कि यदि नोटिस प्रेषित करने के पश्चात इकाईयों द्वारा एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो क्या कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा बताया गया कि नोटिस के पश्चात अर्थदण्ड लगाये जाने का प्राविधान है।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्लास्टिक के ब्राण्ड ऑनर/प्रोडयूसर इकाईयों में जिन इकाईयों द्वारा अभी तक प्लास्टिक रिसाइकल हेतु एग्रीमेंट नहीं किया गया है उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायें तथा इस सम्बन्ध में आगामी बैठक में अवगत कराया जायें। **कार्यवाही:–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।**
5	जनपद में ई–वेस्ट के भण्डारण /निस्तारण की स्थिति।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बरेली में मैसर्स इकोटेकग्रीन एसोसियेट प्रा0लि0, जमौर, शाहजहांपुर द्वारा नगर निगम, बरेली के अन्तर्गत ई–वेस्ट रिसाईकलर का कार्य किया जा रहा है। ई–वेस्ट रिसाईकलर हेतु अधिकृत है तथा कलेक्शन सेन्टर हार्टमैन ब्रिज के पास स्थापित है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागो को पत्र सं0 414/ई–वेस्ट दिनांक 02–08–2024 द्वारा पत्र निर्गत कर एजेन्सी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ई–वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में पुनः एक पत्र जिसमें एजेन्सी का नाम,पता,मो0नं0 आदि अंकित हो ,समस्त विभागो को प्रेषित कर दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी जायें। आगामी बैठक में उक्त एजेन्सी के प्रतिनिधि को भी बुला लिया जायें। **कार्यवाही:–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।**

Scanned with OKEN Scanner

6	जनपद बरेली में वायो मेडिकल वेस्ट के एकत्रीकरण व निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही की समीक्षा।	मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मै0 एनविराड मेडिकेयर प्रा0लि0, रोड नं0–4, परसाखेडा बरेली व एस0पी0 ग्रीन शाहजहांपुर द्वारा जनपद के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 एवं निजी अस्पताली से जनित वायो मेडिकल वेस्ट का कलैक्शन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। एजेंसी की कार्य प्रणाली का निरीक्षण दिनांक 03–08–2024 को किया गया जिसमें उक्त संस्था सुचारू रूप से संचालित पायी गयी। एजेन्सी की कार्य प्रणाली को समय–समय पर चेक किया जाता है। नगर निगम द्वारा रू0 0.05 लाख का जुर्माना जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबन्धन सही प्रकार न करने के सम्बन्ध में अधिरोपित किया गया है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण व संचालन की स्थिति तथा ड्रेन्स की टेपिंग की स्थिति कि जनपदवार समीक्षा।	अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित 15 नालों से अभी तक 08 नाले ही टैप किय गये है। समिति द्वारा आगणन पर पाया गया कि शहरी क्षेत्र में इन नालो से कुल डिस्चार्ज लगभग 130 एम0एल0डी0 है, इसके सापेक्ष बनाये गये एस0टी0पी0 35 एम0एल0डी0 सरायतल्फी , 01 एम0एल0डी0 त्रिशूल एयरवेस, 42 एम0एल0डी0 हारूनगला एवं 20 एम0एल0डी0 चौबारी में स्थापित संचालित है जिसकी कुल क्षमता 98 एम0एल0डी0 ही है। इस प्रकार कुल 130–98=32 एम0एल0डी0 का अन्तर है। उक्त के अतिरिक्त 25 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 का प्रस्ताव अमृत 2.0 में नगर विकास विभाग को प्रेषित किया गया है।	समिति द्वारा अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी को निर्देश दिये गये कि आगामी वर्षो में बढती हुयी जनसंख्या के दृष्टिगत पूर्व में प्रेषित 25 एम0एल0डी0 के प्रस्ताव के इतर 30 एम0एल0डी0 या उससे अधिक के एस0टी0पी0 का प्रस्ताव पृथक से तैयार कर प्रेषित किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव व नवीन प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के क्सिमय की स्थिति उत्पन्न न हो। **कार्यवाही–अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण व शहरी बरेली।**
8	जनपद में बायोमास/गार्वेज दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा	पर्यावरण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माह में बायोमास/गार्वेज दहन की कोई घटना प्रकाश में नही आयी । नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।	समिति अवगत हुई। **कार्यवाही–नगर आयुक्त नगर निगम बरेली**
9	जनपद में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा औद्योगिक इकाईयों के किये गये निरीक्षण की सूची उपलब्ध करायी गयी जो निम्न प्रकार है:– 1–एरोमेटिक सी0बी0गंज। 2–वॉडीलाल इण्डस्ट्रीज परसाखेडा। 3–वृन्दावन वेवरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 4–यू0पी0गैस केमिकल भोजीपुरा। 5–प्रीमियम एग्रो फूडस लिमिटेड फरीदपुर। 6–इफको लिमिटेड आवंला। 7–आर0एस0 फूड परसाखेडा। उक्त औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी बरेली द्वारा कराया गया जिसमें 7 में से 6 इकाईयों में निरीक्षण की पुष्टि की गयी । क.स. 7 पर अंकित इकाई द्वारा निरीक्षण की पुष्टि नहीं की गयी।	समिति द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली को निर्देश दिये गये कि पुनः अपनी टीम के साथ प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण कर ले जिससे कि आगामी माहो में एयर क्वालिटी इन्डेंक्स की स्थिति खराब न हों। कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।

Scanned with OKEN Scanner

10	जनपद में ईट भट्टों के जिग–जैग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 315 भटटे चिन्हित किये गये है। बरेली शहर सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में कुल 27 ईंट भट्टा चिन्हित किये गये था जिनमें से 12 भटटों द्वारा चिमनी को जिग जैग में परिवर्तित कर लिया गया है। शेष समस्त भटटों का बंद कर दिया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुये उक्त रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण बताया, क्योकि अध्यक्ष महोदय के निरीक्षण में ग्राम गोहाना तह0 मीरगंज में एक भटटा संचालित पाया गया।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुनः ईंट भटटों की सूची तैयार कर ले और निरीक्षण कर समिति को लिखित रुप में यह अवगत करायें कि कौन–कौन से ईंट भटटों द्वारा अपनी चिमनी को जिग जैंग कर लिया गया है और कौन से भटटों द्वारा चिमनी को जिंग जैग में परिवर्तित नहीं किया गया है। **कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।**
11	मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 951/2024 राजपाल सिह बनाम एल्डिको के सम्बन्ध में।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल रोड पर ग्राम बिल्वा में झील पर एल्डिकों सिटी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 951/2024 योजित की गयी है। इस सहायक अभियंता बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल रोड पर ग्राम बिल्वा में जो एल्डिकों सिटी बनायी गयी है उसका मानचित्र बी0डी0ए0 द्वारा वर्ष 2019 में स्वीकृत किया गया है और जिस गाटा संख्या 508 में झील दर्शायी गयी है वह स्वीकृत मानचित्र में नहीं है।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यह प्रकरण महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में माह सितम्बर 2024 के प्रथम सप्ताह में पृथक से एक बैठक आयोजित कराये जाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व को दिये गये। **कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),बरेली।**

वृक्षारोपण :– बिन्दुबार समीक्षा निम्न प्रकार की गयी।

1– रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना:– पूर्व के वर्षो में एवं वर्तमान वर्ष 2024 में रोपित किये किये पौधों की सिंचाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सभी विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में पूर्व में विस्तृत दिशा–निर्देश सभी विभागो को निर्गत किये जा चुके है। समस्त विभाग वर्ष 2024 में रोपित किये गये पौधों की जीवितता मानक अनुरुप 95 प्रतिशत तक सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व होगा। अतः रोपित किये गये पौधों की पर्याप्त सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायें।

2–वर्ष 2017 से 2023 तक रोपित पौधों की जीवितता प्रतिशत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :–बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2017 से 2023 तक रोपित पौधों के सापेक्ष जीवितता प्रतिशत की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है जिसके कम में बेसिक शिक्षा,लोक निर्माण विभाग,उद्योग विभाग, प्राविधिक शिक्षा,श्रम विभाग,उद्यान,सहकारिता,गृह विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जिन विभागो द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है उनका विवरण निम्नवत् हैः–

1–पर्यावरण विभाग
2–आवास विकास विभाग
3–औद्योगिक विकास
4–नगर विकास विभाग
5–जल शक्ति विभाग
6–रेशम विभाग
7–कृषि विभाग
8–पशुपालन विभाग
9–विद्युत विभाग
10–माध्यमिक शिक्षा।
11–उच्च शिक्षा।
12–स्वास्थ्य विभाग।
13–परिवहन विभाग।
14–रेलवे विभाग

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त समस्त विभाग 02 दिन के अन्दर वर्ष 2017 से 2023 तक रोपित पौधों के सापेक्ष जीवितता प्रतिशत की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

अन्तर्विभागीय क्रॉस चैकिंग/सत्यापन :– इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा वन विभाग सहित अन्य 26 विभागों के वर्ष 2024 में रोपित पौधों का अन्तर्विभागीय सत्यापन माह सितम्बर 2024 से कराये जाने हेतु अन्तर्विभागीय जांच समिति गठित करायी जाये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में जिन विभागों यथा नगर विकास व गृह विभाग की सफलता प्रतिशत प्रतिशत से कम पायी गयी है उन विभागों के विभागीय अधिकारी पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अंत में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

20/8/24

जिलाधिकारी
बरेली

कार्यालय जिलाधिकारी बरेली

पत्रांक 759 /18–1 (पर्यावरण समिति) दिनांक बरेली, 20/08/2024

प्रतिलिपि–सचिव,उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त,बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–समस्त सम्बंधित विभाग/सदस्य जिला पर्यावरण समिति,जनपद बरेली को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

20/8/24

जिलाधिकारी
बरेली

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-4

दिनांक 30–09–2024 को जिलाधिकारी महोदय, बरेली की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली "जिला पर्यावरण समिति" की बैठक का एजेण्डा

विगत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन की स्थिति

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	विगत माह की बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन/कृत कार्यवाही का विवरण	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4	5
1	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन हेतु भूमि प्रबन्धन।			
1(a)	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार सेनेटरी लैण्डफिल स्थल का चिन्हीकरण/भूमि अधिग्रहण तथा स्थल विकास की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।	————	नगर निगम द्वारा ग्राम सथरापुर तह0 फरीदपुर में 10.422 हे0 भूमि क्रय कर 500 टी.पी.डी. क्षमता का निर्माणाधीन कम्पोस्ट एवं आर0डी0एफ0 प्लांट विकसित किया जा रहा है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मंत्री जी से वार्ता की गयी,उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बैठक आयोजित कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि सेनेटरी लैण्डफिल हेतु समस्त 19 नगर निकायो में स्थल चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर एम0आर0एफ0 सेंटर की स्थापना की जा चुकी है।	नगर आयुक्त/अधिशासी अभियंता सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम बरेली/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
1(b)	स्थानीय निकाय से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु पृथक्कीकरण, एकत्रण, परिवहन, कम्पोस्टिंग /आर0डी0एफ0, वेस्ट इनर्जी आदि की स्थिति का विवरण।	————	जनपद बरेली के समस्त नगर निकायो के 292 तथा नगर निगम के 80 वार्डो कुल 372 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। 19 नगर निकायो में एम0आर0एफ0 सेंटर की स्थापना कर एम0आर0एफ0 सेंटर हेतु आवश्यक मशीने क्रय कर स्थापित की जा चुकी है। नगर निकायो द्वारा डोर–टू–डोर घरो से ही गीला व सूखा कूड़ा कलैक्शन कर एम0आर0एफ0 सेंटरों पर सूखे कूड़े को कस्ट व गीले कूड़े की कम्पोस्टिंग कर कूड़ा निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। • नगर में लगभग 450 मी0टन कूड़ा जनित हो रहा है, नगर निगम द्वारा समस्त 80 वार्डो को 04 जोन में बांटा गया है जिसमें जोन 1 व 3 में निजी एजेंसी के माध्यम से व जोन 2 व 4 में नगर निगम द्वारा 1,20,000 घरो से कूड़ा कलैक्शन का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिये 400 रिक्शे व 80 आटो टिपर प्रयोग में लाये जा	नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका

Scanned with OKEN Scanner

			रहे हैं। • नगर निगम द्वारा 10 एम0आर0एफ0 सेंटरों का निर्माण कराया गया है जिनमें आवश्यक मशीनरी व संयंत्र स्थापित किये जा चुके है। 05 एम0आर0एफ0 सेंटर को संचालित करने व रख–रखाव हेतु टैण्डर आमंत्रित किये गये है। • नगर निगम द्वारा, गंदगी फैलाने ,डेरी संचालन में अनियमितता के सम्बन्ध में माह अगस्त 2024 में मु0रू0 0.23 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।	
	कन्शट्रक्शन डिमोलेशन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति :–			
	कन्शट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के निस्तारण एवं पुर्नचकित किये जाने हेतु अनुपालन की स्थिति।	————————	नगर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 80 मी0टन सी0 एण्ड डी0 वेस्ट को 06 स्थलों पर एकत्र किया जाता है, जहां से अनुबन्धित निजी संस्था के माध्यम से निस्तारित कराया जाता है। कन्सट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के पुर्नचकित किये जाने के लिये लगभग 04 एकड क्षेत्रफल भूमि पर वार्ड नं0 37 नदौसी, मथुरापुर, कान्हा उपवन के समीप स्थल का चिन्हीकरण कर प्लांट का निर्माण किय जा रहा है। प्लांट को चलाने के लिये टैंडर आमंत्रित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था जो कि स्वीकृत हो गया है। सी0एण्ड डी0 वेस्ट को अलग करने के लिये नीति बनाने व लागू करने सम्बन्धी डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है जो कि स्वीकृति हेतु लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित किया गया है।	नगर आयुक्त नगर निगम/ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम।
3	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति**			
3(a)	प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल–2016 के नियम 05 के अनुसार प्लास्टिक के पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निस्तारण	सिंगल यूज प्लास्टिक/ पॉलिथिन जब्त करने की कार्यवाही सतत रूप से सुनिश्चित की जाये तथा तद्नुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायें।	प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित की जा रही है। हार्टमेन पुल के पास 02 टी0पी0डी0 क्षमता की प्लास्टिक पैलेटस मशीन को लगाया गया है जो कि रियूज्ड प्लास्टिक से दोना तैयार किया जा रहा है। नगर निगम व स्थानीय निकायो द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किये जाने हेतु लोगो को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। माह अगस्त 2024 में पॉलीथिन जब्तीकरण के सापेक्ष रू0 1.02 लाख का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूल किया गया है तथा नगर निकायो द्वारा 0.027 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका
3(b)	प्लास्टिक के प्रोड्यूसर /रिसाईकलर मैन्यूफैक्चरर/इम्पोर्टर/ब्राण्ड आनर का चिन्हीकरण तथा निस्तारण की स्थिति।	प्लास्टिक के ब्राण्ड ऑनर/प्रोड्यूसर इकाईयों में जिन इकाईयों द्वारा अभी तक प्लास्टिक रिसाइकल हेतु एग्रीमेंट नहीं किया गया है उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायें तथा इस सम्बन्ध में आगामी बैठक में अवगत कराया जायें।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में जनपद बरेली में चिन्हित 16 ब्राण्ड ऑनर/प्रोड्यूसर इकाईयो को चिन्हित किया गया है । 1–मैसर्स बाडीलाल इण्ड0लि0 परसाखेडा 2–मैसर्स इफ्को,आंवला। 3–मैसर्स धामपुर बायो ऑग्रेनिक लि0 मीरगंज। 4–मैसर्स ओरिएन्टल एरोमेटिक सी0बी0गंज। 5–मैसर्स केसर इण्टरप्राइसेस लि0शुगर यूनिट बहेडी। 6–मैसर्स सुपीरियर इण्ड0 लि0 सी0बी0गंज। 7–मैसर्स बी0एल0एग्रो प्रा0लि0 परसाखेडा।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।

Scanned with OKEN Scanner

			8–मैसर्स वृन्दावन बेबरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 9–मैसर्स नगर निगम स्लॉटर हाउस। 10–मैसर्स अशोका फोम प्रा0लि0 फरीदपुर। 11–मैसर्स एन0पी0 एग्रो प्रा0लि0 फरीदपुर। 12–मैसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 फरीदपुर 13–मैसर्स रहबर फूड प्रा0लि0 मोहनपुर ठिरिया। 14–मैसर्स किसान सहाकारी चीनी मिल्स लि0,सेमीखेडा 15–मैसर्स ओसवाल ओवरसीज लि0 (शुगर मिल) नबाबगंज। 16–मैसर्स बरेली दुग्ध उत्पादन समिति,करगैना। उक्त 16 इकाईयों मे से 12 इकाईयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्लास्टिक रिसाईकलर से एग्रीमेंट किया गया है। शेष क.स. 13 से 16 तक अंकित इकाईयो के विरूद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट नियम,2016 यथा संशोधित के नियम–9 एवं नियम–13 के अनुपालन न किये जाने के कम में इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत धरा–05 सपठित के अन्तर्गत इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।	
ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति–				
	जनपद में जनित ई–वेस्ट का निस्तारण ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार जनपद में स्थापित ई–वेस्ट ई–वेस्ट के भण्डारण /निस्तारण की स्थिति।	ई–वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में पुनः एक पत्र जिसमें एजेन्सी का नाम,पता,मो0नं0 आदि अंकित हो ,समस्त विभागो को प्रेषित कर दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी जायें। आगामी बैठक में उक्त एजेन्सी के प्रतिनिधि को भी बुला लिया जायें।	समित द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बरेली में मैसर्स इकोटेकग्रीन एसोसियेट प्रा0लि0, जमौर, शाहजहांपुर द्वारा नगर निगम, बरेली के अन्तर्गत ई–वेस्ट रिसाइकलर का कार्य किया जा रहा है। ई–वेस्ट रिसाइकलर हेतु अधिकृत है तथा कलेक्शन सेन्टर हार्टमैन ब्रिज के पास स्थापित है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागों को पत्र पुनः पत्र निर्गत कर एजेन्सी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त ई–वेस्ट प्रबंन्धन नियम 2022 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु 03 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण,हिन्दुस्तान,अमर उजाला) में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2024 को प्रकाशित करायी गयी है।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5	**जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति**			
5(a)	जनपद में स्थापित/संचालित हेल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण करते हुये, नियम 04 के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, की अद्यतन /अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।	————————	(see table below) जनपद में मै0 एनविराड मेडिकेयर प्रा0लि0, रोड नं0–4, परसाखेडा, बरेली द्वारा जनपद के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 एवं निजी अस्पतालों से जनित वायो मेडिकल वेस्ट का कलैक्शन व निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 03.08.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण में उक्त संस्था सुचारू रूप से संचालित पायी गयी।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मुख्य चिकित्साधिकारी/मु0प शुचिकित्साधिकारी बरेली।

जनपद का नाम	चिन्हित एच0सी0एफ0 की संख्या	अनुबन्धित एच0सी0एफ की संख्या/प्राधिकार की संख्या	निरीक्षण की संख्या	दोषी के विरूद्ध कर्यावाही की संख्या
बरेली	बेडेड–642, नॉन बेडेड–444, कुल–1087	825	18	–

<table>
<tr><td></td><td></td><td>क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा माह अगस्त 2024 में 18 हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">नपद में प्रवाहित ड्रेन्स एवं स्थापित/संचालित/निर्माणधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की समीक्षा</td></tr>
<tr><td>म गंगा नदी के कैचमेन्ट एरिया में चिन्हित 03 ड्रेन्स को क्लीन किया जाना है।</td><td>————————</td><td>
<table>
<tr><th>जनपद का नाम</th><th>जनपद में प्रवाहित नदियों की सं0, नाम तथा लम्बाई</th><th>ड्रेन्स के अन्तर्गत चिन्हित ड्रेन</th><th>अन्य ड्रेन</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>बरेली</td><td>01–रामगंगा लम्बाई–75 किमी0</td><td>03 देवरानिया, सथरापुर (नकटिया), म्यूनिसिपल (चौबारी) ड्रेन</td><td>–</td><td>–</td></tr>
</table>
अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड के नियंत्रणाधीन 02 ड्रेन्स नकटिया, देवरनियां की सफाई वर्ष 2024–25 में उपलब्ध धनावंटन के अनुसार आवश्यकतानुरूप 73.05 किमी0 लम्बाई में सफाई का कार्य कराया जा चुका है।
</td><td>अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड</td></tr>
</table>

सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण व संचालन की स्थिति तथा ड्रेन्स की टेपिंग की स्थिति कि जनपदवार समीक्षा।

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी को निर्देश दिये गये कि आगामी वर्षो में बढती हुयी जनसंख्या के दृष्टिगत पूर्व में प्रेषित 25 एम0एल0डी0 के प्रस्ताव के इतर 30 एम0एल0डी0 या उससे अधिक के एस0टी0पी0 का प्रस्ताव पृथक से तैयार कर प्रेषित किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव व नवीन प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के विस्मय की स्थिति उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार चिन्हित नाले व एस0टी0पी0 से टैपिंग की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क.स.	नालों का नाम	नाले का डिस्चार्ज एम0एल0डी0 में	किस नदी से मिलता है	नालों को टैप कर एस.टी.पी. में शोधन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	धौरेरा माफी बैरियर नाला	1.535	नकटिया नदी	42 MLD STP
2	सैटेलाइट बस स्टैण्ड नाला	9.899	नकटिया नदी	42 MLD STP
3	हरूननगला नाला	2.509	नकटिया नदी	42 MLD STP
4	ग्रीन पार्क नाला		नकटिया नदी	42 MLD STP
5	एयरफोर्स नाला	0.993	किला नदी	01 MLD STP
6	किलापुल नाला	1.431	किला नदी	
7	साहू गोपी नाथ नाला	10.689	किला नदी	
8	100 फुटा रोड नाला	16.61	नकटिया नदी	42 MLD STP
9	जगतपुर पुलिस चौकी नाला	15.95	नकटिया नदी	42 MLD STP
10	बिहारीपुर नाला	15.41	किला नदी	
11	जी0पी0 टोला नाला	16.03	किला नदी	
12	कृष्ण हॉस्पिटल नाला 1 व2	11.75	किला नदी	
13	गुलाब नगर नाला	16.56	किला नदी	
14	चौकी अशरफ से किला नदी नाला		किला नदी	
15	चौबारी नाला	10.33	रामगंगा	20 MLD STP

उक्तानुसार चिन्हिंत नालों से अभी तक 08 नाले ही टैप किय गये है। शहरी क्षेत्र में इन नालो से कुल डिस्चार्ज लगभग 129.68 एम0एल0डी0 है,

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली नगर निगम क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2025 की जनसंख्या के अनुसार कुल सीवर उत्सर्जन 123.00 एम0एल0डी0 है जिसके सापेक्ष क्रमशः 35 एम0एल0डी0,42 एम0एल0डी0,20 एम0एल0डी0, एवं 01 एम0एल0डी0 कुल–98 एम0एल0डी0 निर्मित/निर्माणाधीन है शेष 25 एम0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु प्राक्कलन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 29.12.2023 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया जा सका है। इस प्रकार CPHEEO Manual के अनुसार नगर क्षेत्र की कुल आवश्यकता के आधार पर 123 एम0एल0डी0 क्षमता की एस0टी0पी0 निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित है। अतः वर्तमान में 30 एम0एल0डी0 क्षमता की एस0टी0पी0 का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना उचित नहीं है।

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण व शहरी/

7 फलड प्लेन एरिया का निर्धारण तथा नदियों के ई–फ्लो मेन्टेन किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा

	राम गंगा नदी में 25 वर्ष के अन्तर्गत अधिकतम फ्लड प्लेन एरिया को कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाना तथा फ्लड प्लेन एरिया से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्यो को प्रतिबन्धित किये जाने की संख्या।	————————	<table><tr><td>जनपद का नाम</td><td>जनपद में प्रवाहित रामगंगा नदी की लम्बाई (कि0मी0) तथा फ्लड प्लेन एरिया चिन्हाकन</td><td>चिन्हित निर्माण कार्यो की संख्या</td><td>कार्यवाही सं0</td></tr><tr><td>बरेली</td><td>लगभग–75 किमी0 फ्लड प्लेन एरिया चिन्हाकन–0</td><td>00</td><td>00</td></tr></table> रामगंगा नदी बाढ क्षेत्र (Flood plane zone) का सीमांकन का कार्य एन0आई0एच0 (National Institute of Hydrology) द्वारा किया जा रहा है, उक्त कार्य हेतु धनांवटन प्राप्त हो चुका है। एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त कार्य माह मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।	अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड
	बायोमास / काप रेजिड्यूज / गार्वेज दहन से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा			
)	जनपद में काप रेजिड्यूज / पराली दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा	————————	काप रेजिड्यूज / पराली दहन से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।	जिला कृषि अधिकारी
b)	जनपद में बायोमास / गार्वेज दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा	————————	बायोमास / गार्वेज दहन की कोई घटना प्रकाश में नही आयी ।	पर्यावरण अभियंता नगर निगम / अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय / क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड।
9	**औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा**			
9(a)	जनपद में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था यथा ई0एस0पी0 / ए0पी0सी0एस0 की स्थिति एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम /बेव कैमरा के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली को निर्देश दिये गये कि पुनः अपनी टीम के साथ प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण कर ले जिससे कि आगामी माहो में एयर क्वालिटी इन्डेंक्स की स्थिति खराब न हों।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संयुक्त टीम के साथ पुनः निम्न औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया गया– 1–एरोमेटिक सी0बी0गंज। 2–वॉडीलाल इण्डस्ट्रीज परसाखेडा। 3–वृन्दावन वेवरेज प्रा0लि0 परसाखेडा। 4–यू0पी0गैस केमिकल भोजीपुरा। 5–प्रीमियम एग्रो फूडस लिमिटेड फरीदपुर। 6–इफ्को लिमिटेड आवंला। 7–आर0के0 फूड परसाखेडा। उक्त औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम बिन्दु से शुद्धिकृत जल के नमूने एकत्रण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय की एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला द्वारा किया गया,विश्लेषण आख्या अपेक्षित है। उद्योगो में स्थापित ब्यॉलर/थर्मिक फलूट हीटर से उत्सर्जित फ्लू गैस के स्टैक अनुश्रवण का कार्य एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला द्वारा किया गया।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

	जनपद में ईट भट्टों के जिग–जैग में परिवर्तित किये जाने तथा ईट भट्टों में प्रयोग किये जा रहे ईधन की स्थिति की समीक्षा	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुनः ईंट भटटों की सूची तैयार कर लें और निरीक्षण कर समिति को लिखित रूप में यह अवगत करायें कि कौन–कौन से ईंट भटटों द्वारा अपनी चिमनी को जिग जैंग कर लिया गया है और कौन से भटटों द्वारा चिमनी को जिंग जैग में परिवर्तित नहीं किया गया है।	...में कुल चिन्हित 315 भट्टे का पुनः सत्यान किये जाने हेतु नियमित निरीक्षण किये जा रहे है। वर्तमान में दिनांक 06–09–2024 तक 73 ईंट भटटों का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। ऑफ सीजन होने के कारण उक्त सभी 73 भटटों में उत्पादन कार्य बंद पाया गया। 16 ईंट भटटों को जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पद्धति पर परिवर्तित कर लिया गया है। कुछ ईंट भटटो के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि वर्षा ऋतु के कारण जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पर परिवर्तन का कार्य बाधित हुआ है, जो कि आगामी सीजन में शुरू होने से पूर्व कर लिया जायेगा। उपरोक्त सभी 73 भटटों को नोटिस भी प्राप्त करा दिये गये है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु बरेली के क्षेत्रांर्गत स्थापित/संचालित समस्त ईट भटटों को जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पद्धति पर परिवर्तित कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैद्य सहमति जल एवं वायु प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालित किये जाने हेतु 03 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण,हिन्दुस्तान,अमर उजाला) में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2024 को प्रकाशित करायी गयी है।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
10	**रोड डस्ट सस्पेंशन/सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना**			
	सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना।	———	नगर निगम द्वारा रोड डस्ट ससपेंशन को कम करने हेतु कार्य कराये जा रहे है जिसमें मुख्य सडकों पर सुबह शाम स्वीपिंग व पानी का छिडकाव किया जा रहा है।	पर्यावरण अभियंता नगर निगम व अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय
11	**वाहनों से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु किये गये उपायों की समीक्षा स्थिति**			
	प्रदूषणकारी वाहनों के सम्बन्ध में जन जागरूकता जागृति करना तथा दोषी वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदूषणकारी वाहनो को चैक किया जाये तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाये।	माह अगस्त 2024 में 16 चालान माह तक कुल 311 चालान। माह में रू0 1.32 लाख कमिक–3.84 लाख जुर्माना वसूल किया गया है।	पुलिस अधीक्षक यातायात
12	मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 951/2024 राजपाल सिह बनाम एल्डिको व ओ0ए0 संख्या 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम एल्डिकों कम्पनी व अन्य के सम्बन्ध में।	माह सितम्बर 2024 के प्रथम सप्ताह में पृथक से एक बैठक आयोजित कराये जाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व को दिये गये।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में दिनांक 04–08–2024 व 05–08–2024 को प्रकरण में बैठक आयोजित कर कार्यवाही पृथक से की जा रही है तथा प्रकरण में संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त जांच हेतु दिनांक 10.09.2024 की तिथि नियत की गयी है।	अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आज की बैठक के एजेण्डा बिन्दु :–

क्र.स.	एजेण्डा बिन्दु	विवरण	सम्बन्धित अधिकारी
1	परिवेशीय वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु ।	आगामी शीत ऋतु में बरेली शहर परिवेशीय वायु गुणवत्ता (ए.क्यू.आई) को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाने हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा यू0पी0 निर्माण निगम,लोक निर्माण विभाग,नगर विकास विभाग,बरेली विकास प्राधिकरण,नगर निगम बरेली,उत्तर प्रदेश जल निगम बरेली आदि द्वारा निर्माण कार्य एवं गडढा खुदान से जनित होने वाले धूल के कणों के	नगर आयुक्त,सचिव बी0डी0ए0,अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0,अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम नगरीय/ग्रामीण।

Scanned with OKEN Scanner

		नियंत्रण हेतु नियमित जल छिडकाव,ग्रीन नेट कवर,कैप [illegible]ल्डिंग,स्प्रिंकलर,स्मॉक गन आदि के समुचित व्यवस्थाएं स्थापित किया जाना आवश्यक है।	
	बरेली शहर के अन्तर्गत मुख्य चौराहो पर जाम की समस्या के दृष्टिगत ध्वनि व वायु प्रदूषण को कम करने हेतु उपायो की समीक्षा।	बरेली शहर के अन्तर्गत मुख्य चौराहो यथा–चौकी चौराहा, नवल्टी चौराहा, चौपला चौराहा पर वाहनो के अनियत्रित आवागमन से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि व वायु प्रदूषण होता है एवं आम जनमानस की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पडता है।	पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली
	बरेली शहरं के अन्तर्गत श्यामगंज चौराहा ओवरब्रिज एंव चौपला चौराहा ओवरब्रिज के नीचे सौन्दर्यकरण किये जाने की समीक्षा।	बरेली शहर के अन्तर्गत श्यामगंज चौराहा ओवरब्रिज एवं चौपला चौराहा ओवरब्रिज के नीचे काफी गडढे है और गंदगी रहती है जिससे वहां धूल उडती है जो कि वायु प्रदूषण में वृद्धि करती है। श्यामगंज पुल के नीचे डलावघर के आस–पास कूड़ा बिखरा हुआ रहता है। इनका निस्तारण कर सौदर्यीकरण कराये जाने की आवश्यता है।	पर्यावरण अभियंता नगर निगम बरेली/सचिव बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।
4	बरेली शहर के मुख्य प्रवेश द्वारों के साइड पर कूडा–कचरा एंव मृत जानवरों के फेंके गए अवशेष के निस्तारण के सम्वंध में समीक्षा।	प्रायःदेखने में आया है कि बरेली शहर के मुख्य प्रवेश द्वारो पर कूडा कचरा एवं मृत जानवरों के अवशेष पडे रहते है। इनका निस्तारण कर सौदर्यीकरण कराये जाने की आवश्यता है।	पर्यावरण अभियंता नगर निगम बरेली/सचिव बरेली विकास प्राधिकरण बरेली/जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली।

क्षारोपण :–

1– वर्ष 2024 में रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा,निराई–गुडाई व सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2– पूर्व वर्ष 2023 में रोपित पौधों के सापेक्ष जो पौधों मृत/नष्ट हो गये है उनके स्थानं पर नये स्वस्थ्य पौधें बदलने की कार्यवाही सुनिश्ंचित करना।

3–अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की सहमति सें:–

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 30—09—2024 को जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिला पर्यावरण समिति की बैठक का कार्यवृत

आज दिनांक **30.09.2024 (सोमवार)** को जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में **जिला पर्यावरण समिति** की बैठक का आयोजन **सांय 04.15 बजे** से विकास स्थित सभागार में किया गया जिसमें निम्न अधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1—श्री रविन्द्र कुमार जिलाधिकारी बरेली। **(अध्यक्ष)** 09454417524
2—श्रीमती दीक्षा भण्डारी,प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली। 07839435119
3—श्री दिनेश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन,बरेली। 9454417197
4—श्री राजीव राठी पर्यावरण अभियंता नगर निगम बरेली। 070555519633
5—मो0 हसीब अन्सारी उपायुक्त श्रम एवं रोजगार बरेली। 08765983053
6—श्री दिनेश कुमार यादव जिला विकास अधिकारी बरेली। 09454464644
7—श्री देवकी सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली। 9454457296
8—श्री पी0सी0 कन्नौजिया बैज्ञानिक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली। 7906832975
9—डा0 भानु प्रकाश नगर स्वास्थ्य अधिकारी बरेली। 9412556092
10—श्री सुनील सिंह चौहान ए0एस0ओ0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली। 078398917147
11—श्री संजय सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली। 9453004109
12—डा0 रजनी कांत स्वास्थ्य विभाग। 9452259818
13—श्री विकास यादव महाप्रबन्धक उद्योग विभाग बरेली। 9811603398
14—श्री कमल किशोर जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली। 8400030911
15—श्री रमेश चन्द्र प्रजापति प्रतिनिधि परिवहन विभाग। 8005441288
16— सुश्री/श्रीमती नीतू डी0एल0ओ0 बरेली। 9453005400
17— सुश्री/श्रीमती सपना भारद्वाज अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ठिरिया/रिछा। 8189078032
18—डा0 फौजिया खान सहायक प्रोफेसर/प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग बरेली। 9412501172
19—श्री कौशल किशोर अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम नगरीय बरेली। 9473942577
20—श्री वी0पी0 सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बहेडी,नगर पंचायत फरीदपुर व शेरगढ बरेली । 7455857744
21—श्री राजन नाथ तिवारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरौली बरेली। 8189078033।
22— श्री दुर्गेश सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शीशगढ बरेली । 8189078030
23—श्री हम्मीर सिंह प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक बरेली। 09458001326
24—डा0 मो0 आलम को—ऑर्डिनेटर डब्ल्यू.डब्ल्य.एफ. इण्डिया। 7906013086
25—श्री रामसिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली। 09719479960
26—श्री मनोज कुमार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड—1 बरेली। 9415901649
27—श्री अंजय कुमार यादव सहायक अभियंता बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। 8272080603
28—श्री ए0के0 श्रीवास्तव जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बरेली। 8303111161
29—सुश्री रितुशा तिवारी जिला कृषि अधिकारी बरेली। 7839882599

Scanned with OKEN Scanner

30–श्री राजीव अग्रवाल अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0 बरेली। 8826710000
31–श्री रूमान सफीर सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण बरेली। 6396011614
32–श्री धर्मेन्द्र वर्मा अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड बरेली। 9335277950
33–अखिलेश सिंह महानगर संयोजक गंगा समग्र बरेली।9997744844
34–अरूण गुप्ता डी0पी0एम0 यू0पी0एस0बी0सी0एल0 बरेली। 8800342494
35– डा0 मेघ श्याम मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी बरेली। 9412128755
36–श्री आर0ए0 शर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी बरेली। 94501338014
37–श्री शिवलाल राम अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फतेहगंज प0/सेंथल। 8189078025
38–सुश्री प्रियंका मिश्रा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नबाबगंज। 8189078021।
39–श्री अंकित कुमार गंगवार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाही/रिठौरा। 8279581013।
40–श्री कश्मीर सिंह पाल जे.आर.एफ. वन विभाग, बरेली। 9456215894
41–श्री शोभित सिंह जिला कार्यकम प्रबन्धक नगर विकास बरेली। 8533924288
42–श्री संदीप चन्द्रा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत धौराटांडा बरेली। 9711475322
43–श्री नरेन्द्र सिंह सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बरेली।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/2019/एन0जी0टी0–257/ 55–पर्या– 2-2019 –44(रिट)/2016 लखनऊ दिनांक 14.06.2019 के कम में प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के पत्रांक 18/2019/एन0जी0टी0–326/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई, 2019 के द्वारा राज्य स्तर पर अनुश्रवण प्रकिया का रोस्टर निर्धारित किया गया है जिसके कम में जिला पर्यावरण समिति का गठन कर समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी कम में जिला पर्यावरण समिति की बैठक का आयोजन उक्त दिनांक 16–10–2024 को किया गया जिसमें निम्न प्रकार से मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी:–

क0सं0	एजेण्डा बिन्दु	समीक्षा/कृत कार्यवाही का विवरण	बैठक में दिये गये निर्देश
1.ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन हेतु भूमि प्रबन्धन।			
1(a)	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार सेनेटरी लैण्डफिल स्थल का चिन्हीकरण/भूमि अधिग्रहण तथा स्थल विकास की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।	नगर निगम के पर्यावरण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सथरापुर तह0 फरीदपुर में 10.422 हे0 भूमि कय कर 500 टी.पी.डी. क्षमता का निर्माणाधीन कम्पोस्ट एवं आर0डी0एफ0 प्लांट विकसित किया जा रहा है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मंत्री जी से वार्ता की गयी,उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बैठक आयोजित कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि सेनेटरी लैण्डफिल हेतु समस्त 19 नगर निकायो में स्थल चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर एम0आर0एफ0 सेंटर की स्थापना की जा चुकी है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही–नगर आयुक्त/अधिशासी अभियंता सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम बरेली/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
1(b)	स्थानीय निकाय से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु पृथक्कीकरण, एकत्रण, परिवहन, कम्पोस्टिंग /आर0डी0एफ0, वेस्ट इनर्जी आदि की स्थिति का विवरण।	बैठक में पर्यावरण अभियंता नगर निगम व स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बरेली के समस्त नगर निकायो के 292 तथा नगर निगम के 80 वार्डो कुल 372 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। 19 नगर निकायो में एम0आर0एफ0 सेंटर की स्थापना कर एम0आर0एफ0 सेंटर हेतु आवश्यक मशीने कय कर स्थापित की जा चुकी है। नगर निकायो द्वारा डोर–टू–डोर घरो से ही गीला व सूखा कूडा एकत्र कर एम0आर0एफ0 सेंटरों पर सूखे कूडे को कस्ट व गीले कूडे की कम्पोस्टिंग कर कूडा निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही–नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका।

Scanned with OKEN Scanner

		• नगर में लगभग 450 मी0टन/प्रतिदिन कूडा जनित हो रहा है, नगर निगम द्वारा समस्त 80 वार्डो को 04 जोन में बांटा गया है जिसमें जोन 1 व 3 में निजी एजेंसी के माध्यम से व जोन 2 व 4 में नगर निगम द्वारा 1,20,000 घरो से कूडा कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिये 400 रिक्शे व 80 आटो टिपर प्रयोग में लाये जा रहे है। • नगर निगम द्वारा 10 एम0आर0एफ0 सेंटरों का निर्माण कराया गया है जिनमें आवश्यक मशीनरी व संयंत्र स्थापित किये जा चुके है। 05 एम0आर0एफ0 सेंटर को संचालित करने व रख–रखाव हेतु टैंण्डर आमंत्रित किये गये है। नगर निगम द्वारा, गंदगी फैलाने ,डेरी संचालन में अनियमितता के सम्बन्ध में माह अगस्त 2024 में मु0रू0 0.23 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।	
2	**कन्शट्रक्शन डिमोलेशन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति :–**		
2(a)	कन्शट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के निस्तारण एवं पुर्नचकित किये जाने हेतु अनुपालन की स्थिति।	नगर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 80 मी0टन सी0 एण्ड डी0 वेस्ट को 06 स्थलों पर एकत्र किया जाता है, जहां से अनुबन्धित निजी संस्था के माध्यम से निस्तारित कराया जाता है। कन्सट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट के पुर्नचकित किये जाने के लिये लगभग 04 एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर वार्ड नं0 37 नदौसी, मथुरापुर, कान्हा उपवन के समीप स्थल का चिन्हीकरण कर प्लांट का निर्माण किय जा रहा है। प्लांट को चलाने के लिये टैंडर आमंत्रित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था जो कि स्वीकृत हो गया है। सी0एण्ड डी0 वेस्ट को अलग करने के लिये नीति बनाने व लागू करने सम्बन्धी डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है जो कि स्वीकृति हेतु लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित किया गया है।	समिति अवगत हुयी। **कार्यवाही–नगर आयुक्त नगर निगम/ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज़ उ0प्र0 जल निगम।**
3	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति**		
3(a)	प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल–2016 के नियम 05 के अनुसार प्लास्टिक के पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निस्तारण।	प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित की जा रही है। हार्टमेन पुल के पास 02 टी0पी0डी0 क्षमता की प्लास्टिक पैलेटस मशीन को लगाया गया है जो कि रियूज्ड प्लास्टिक से दाना तैयार किया जा रहा है। नगर निगम व स्थानीय निकायो द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किये जाने हेतु लोगो को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। माह अगस्त 2024 में पॉलीथिन जब्तीकरण के सापेक्ष रू0 1.02 लाख का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूल किया गया है तथा नगर निकायो द्वारा 0.027 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।	'समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलिथिन जब्त करने की कार्यवाही सतत रूप से सुनिश्चित की जाये तथा तदनुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाय। नगर निकायो द्वारा प्लांस्टिक जब्तीकरण के सापेक्ष काफी कम जुर्माना वसूल किया गया है, इसे और अधिक बढाया जायें। **कार्यवाही–नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/पालिका।**
3(b)	प्लास्टिक के प्रोड्यूसर /रिसाईकलर मैन्यूफैक्चरर/इम्पोर्टर/ब्राण्ड आनर का चिन्हीकरण तथा निस्तारण की स्थिति।	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में जनपद बरेली में चिन्हित 16 ब्राण्ड ऑनर/प्रोड्यूसर इकाईयो को चिन्हित किया गया है । 1–मैसर्स बाडीलाल इण्ड0लि0 परसाखेडा 2–मैसर्स इफको,आंवला। 3–मैसर्स धामपुर बायो ऑग्रेनिक लि0 मीरगंज। 4–मैसर्स ओरिएन्टल एरोमेटिक सी0बी0गंज। 5–मैसर्स केसर इण्टरप्राइसेस लि0शुगर यूनिट बहेडी। 6–मैसर्स सुपीरियर इण्ड0 लि0 सी0बी0गंज। 7–मैसर्स बी0एल0एग्रो0 प्रा0लि0 परसाखेडा।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि:– शेष 04 प्रोड्यूसर /ब्राण्ड आनर विशेषकर चीनी मिलो द्वारा प्लास्टिक के पुर्नचकण हेतु अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। **कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली**

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8–मैसर्स वृन्दावन बेबरेज प्रा0लि0 परसाखेडा।
9–मैसर्स नगर निगम स्लॉटर हाउस।
10–मैसर्स अशोका फोम प्रा0लि0 फरीदपुर।
11–मैसर्स एन0पी0 एग्रो प्रा0लि0 फरीदपुर।
12–मैसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 फरीदपुर
13–मैसर्स रहबर फूड प्रा0लि0 मोहनपुर ठिरिया।
14–मैसर्स किसान सहाकारी चीनी मिल्स लि0,सेमीखेडा
15–मैसर्स ओसवाल ओवरसीज लि0 (शुगर मिल) नबाबगंज।
16–मैसर्स बरेली दुग्ध उत्पादन समिति,करगैना।
उक्त 16 इकाईयों मे से 12 इकाईयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्लास्टिक रिसाईकलर से एग्रीमेंट किया गया है। शेष क्र.स. 13 से 16 तक अंकित इकाईयो के विरूद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट नियम,2016 यथा संशोधित के नियम–9 एवं नियम–13 के अनुपालन न किये जाने के क्रम में इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत धारा–05 सपठित के अन्तर्गत इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td colspan="3">ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति–</td>
</tr>
<tr>
<td>4 (a)</td>
<td>जनपद में जनित ई–वेस्ट का निस्तारण ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार जनपद में स्थापित ई–वेस्ट ई–वेस्ट के भण्डारण /निस्तारण की स्थिति।</td>
<td>बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बरेली में मैसर्स इकोटेकग्रीन एसोसियेट प्रा0लि0, जमौर, शाहजहांपुर द्वारा नगर निगम, बरेली के अन्तर्गत ई–वेस्ट रिसाइकलर का कार्य किया जा रहा है। ई–वेस्ट रिसाइकलर हेतु अधिकृत है तथा कलेक्शन सेन्टर हार्टमैन ब्रिज के पास स्थापित है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागो को पत्र पुनः पत्र निर्गत कर एजेन्सी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम 2022 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु 03 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण,हिन्दुस्तान,अमर उजाला) में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2024 को प्रकाशित करायी गयी है।</td>
<td>समिति अवगत हुयी।
कार्यवाहीः–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td colspan="3">जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन की स्थिति</td>
</tr>
<tr>
<td>5(a)</td>
<td>जनपद में स्थापित/संचालित हेल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण करते हुये, नियम 04 के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, की अद्यतन /अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।</td>
<td>
<table>
<tr><th>जनपद का नाम</th><th>चिन्हित एच0सी0एफ0 की संख्या</th><th>अनुबन्धित एच0सी0एफ की संख्या/प्राधिकार की संख्या</th><th>निरीक्षण की संख्या</th><th>दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की संख्या</th></tr>
<tr><td>बरेली</td><td>बेडेड–642, नॉन बेडेड–444, कुल–1087</td><td>825</td><td>18</td><td>–</td></tr>
</table>
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जनपद में मै0 एनविराड मेडिकेयर प्रा0लि0, रोड नं0–4, परसाखेडा, बरेली व एस0पी0 ग्रीन शाहजहांपुर द्वारा जनपद के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 एवं निजी अस्पतालों से जनित वायो मेडिकल वेस्ट का कलैक्शन व निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 03.08.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण में उक्त संस्था सुचारू रूप से संचालित पायी गयी। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा माह अगस्त 2024 में 18 हेल्थ केयर फैसिलिटी संटर का निरीक्षण किया गया।
</td>
<td>समिति द्वारा निर्देशित किया गया किः–
जनपद में वायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने वाली एजेन्सी व निजी अस्पतालों के मध्यम हुये अनुबन्ध का सत्यापन कराया जायें तथा सत्यापन रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें।
कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।</td>
</tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

6 जनपद में प्रवाहित ड्रेन्स एवं स्थापित/संचालित/निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की समीक्षा

6(a) राम गंगा नदी के कैचमेन्ट एरिया में चिन्हित 03 ड्रेन्स को क्लीन किया जाना है।

जनपद का नाम	जनपद में प्रवाहित नदियों की सं0, नाम तथा लम्बाई	ड्रेन्स के अन्तर्गत चिन्हित ड्रेन	अन्य ड्रेन	टिप्पणी
बरेली	01–रामगंगा लम्बाई–75 किमी0	03 देवरानिया, सथरापुर (नकटिया), म्यूनिसिपल (चौबारी) ड्रेन	–	-

अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड के नियंत्रणाधीन 02 ड्रेन्स नकटिया, देवरनियां की सफाई वर्ष 2024–25 में उपलब्ध धनावंटन के अनुसार आवश्यकतानुरूप 73.05 किमी0 लम्बाई में सफाई का कार्य कराया जा चुका है।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि :–
अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड के नियंत्राणाधीन 02 ड्रेन्स नकटिया व देवरनियां की सफाई के पूर्व के फोटो व सफाई के पश्चात के फोटो एवं अन्य कार्यो का विवरण बुकलेट फार्म में आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें।
कार्यवाही:– अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड बरेली।

6(b) सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण व संचालन की स्थिति तथा ड्रेन्स की टेपिंग की स्थिति कि जनपदवार समीक्षा।

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार चिन्हित नाले व एस0टी0पी0 से टैपिंग की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	नालों का नाम	नाले का डिस्चार्ज एम0एल0डी0 में	किस नदी से मिलता है	नालों को टैप कर एस.टी.पी. में शोधन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	धौरेरा माफी बैरियर नाला	1.535	नकटिया नदी	42 MLD STP
2	सैटेलाइट बस स्टैण्ड नाला	9.899	नकटिया नदी	42 MLD STP
3	हरूननगला नाला	2.509	नकटिया नदी	42 MLD STP
4	ग्रीन पार्क नाला		नकटिया नदी	42 MLD STP
5	एयरफोर्स नाला	0.993	किला नदी	01 MLD STP
6	किलापुल नाला	1.431	किला नदी	
7	साहू गोपी नाथ नाला	10.689	किला नदी	
8	100 फुटा रोड नाला	16.61	नकटिया नदी	42 MLD STP
9	जगतपुर पुलिस चौकी नाला	15.95	नकटिया नदी	42 MLD STP
10	बिहारीपुर नाला	15.41	किला नदी	
11	जी0पी0 टोला नाला	16.03	किला नदी	
12	कृष्ण हॉस्पिटल नाला 1 व2	11.75	किला नदी	
13	गुलाब नगर नाला	16.56	किला नदी	
14	चौकी अशरफ से किला नदी नाला		किला नदी	
15	चौबारी नाला	10.33	रामगंगा	20 MLD STP

उक्तानुसार चिन्हित नालों से अभी तक 08 नाले ही टैप किय गये है। शहरी क्षेत्र में इन नालो से कुल डिस्चार्ज लगभग 129.68 एम0एल0डी0 है,

पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली नगर निगम क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2024 की जनसंख्या के अनुसार कुल सीवर उत्सर्जन 123.00 एम0एल0डी0 है जिसके सापेक्ष कमशः 35 एम0एल0डी0,42 एम0एल0डी0,20 एम0एल0डी0, एवं 01 एम0एल0डी0 कुल–98 एम0एल0डी0 निर्मित/निर्माणाधीन है शेष 25 एम0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु प्राक्कलन राज्य स्तरीय तकनीकी

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि :–
नगर क्षेत्र में कुल चिन्हित नालो से कितना डिस्चार्ज होता है तथा आगामी 10 वर्षो में कितना डिस्चार्ज हो सकता है, को justify करते हुये रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें।
कार्यवाही:– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी/ग्रामीण बरेली।

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr><td></td><td></td><td>समिति की दिनांक 29.12.2023 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया जा सका है। इस प्रकार CPHEEO Manual के अनुसार नगर क्षेत्र की कुल आवश्यकता के आधार पर 123 एम0एल0डी0 क्षमता की एस0टी0पी0 निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित है। अतः वर्तमान में 30 एम0एल0डी0 क्षमता की एस0टी0पी0 का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना उचित नहीं है।
अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम शहरी के बैठक में उपस्थित न हो पाने के कारण उक्त बिन्दु पर अग्रिम रूप से समीक्षा नहीं की जा सकीं।</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">फलड प्लेन एरिया का निर्धारण तथा नदियों के ई–फ्लो मेन्टेन किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा</td></tr>
<tr><td>7(a)</td><td>राम गंगा नदी में 25 वर्ष के अन्तर्गत अधिकतम फलड प्लेन एरिया को कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाना तथा फलड प्लेन एरिया से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्यो को प्रतिबन्धित किये जाने की संख्या।</td><td>
<table>
<tr><th>जनपद का नाम</th><th>जनपद में प्रवाहित रामगंगा नदी की लम्बाई (कि0मी0) तथा फलड प्लेन एरिया चिन्हाकन</th><th>चिन्हित निर्माण कार्यो की संख्या</th><th>कार्यवाही सं0</th></tr>
<tr><td>बरेली</td><td>लगभग–75 किमी0
फलड प्लेन एरिया चिन्हाकन–0</td><td>00</td><td>00</td></tr>
</table>
रामगंगा नदी बाढ क्षेत्र (Flood plane zone) का सीमांकन का कार्य एन0आई0एच0 (National Institute of Hydrology) द्वारा किया जा रहा है, उक्त कार्य हेतु धनांवटन प्राप्त हो चुका है। एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त कार्य माह मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।</td><td>समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि :–
1–फ्लड प्लेन एरिया के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन के निर्देश एवं उनके अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया जायें।
2–फ्लड प्लेन एरिया में चिन्हित निर्माण कार्यों की संख्या व कार्यवाही की संख्या के सम्बन्ध में नदीवार/स्थलवार सूचना प्रस्तुत की जायें।
कार्यवाही–अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड बरेली।</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">बायोमास/काप रेजिड्यूज/गार्वेज दहन से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा</td></tr>
<tr><td>8(a)</td><td>जनपद में काप रेजिड्यूज/पराली दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा</td><td>काप रेजिड्यूज/पराली दहन से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।</td><td>समिति अवगत हुयी।
कार्यवाही–जिला कृषि अधिकारी</td></tr>
<tr><td>8(b)</td><td>जनपद में बायोमास/गार्वेज दहन के विषयक कार्यवाही की समीक्षा</td><td>बायोमास/गार्वेज दहन की कोई घटना प्रकाश में नही आयी ।</td><td>समिति अवगत हुयी।
कार्यवाही–पर्यावरण अभियंता नगर निगम/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड।</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा</td></tr>
<tr><td>9(a)</td><td>जनपद में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था यथा ई0एस0पी0/ए0पी0सी0एस0 की स्थिति एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम/बेव कैमरा के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा</td><td>बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संयुक्त टीम के साथ पुनः निम्न औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया गया–
1–एरोमेटिक सी0बी0गंज।
2–वॉडीलाल इण्डस्ट्रीज परसाखेडा।
3–वृन्दावन वेवरेज प्रा0लि0 परसाखेडा।
4–यू0पी0गैस केमिकल भोजीपुरा।
5–प्रीमियम एग्रो फूडस लिमिटेड फरीदपुर।
6–इफको लिमिटेड आवंला।
7–आर0के0 फूड परसाखेडा।</td><td>समिति अवगत हुयी।
कार्यवाही:–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

		उक्त औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम बिन्दु से शुद्धिकृत जल के नमूने एकत्रण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय की एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला द्वारा किया गया,विश्लेषण आख्या अपेक्षित है। उद्योगो में स्थापित ब्यॉलर/थर्मिक फ्लूट हीटर से उत्सर्जित फ्लू गैस के स्टैक अनुश्रवण का कार्य एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला द्वारा किया गया।	
9(b)	जनपद में ईट भट्टों के जिग–जैग में परिवर्तित किये जाने तथा ईट भट्टों में प्रयोग किये जा रहे ईधन की स्थिति की समीक्षा	बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जनपद में कुल चिन्हित 315 भटटे का पुनः सत्यान किये जाने हेतु नियमित निरीक्षण किये जा रहे है। वर्तमान में दिनांक 06-09-2024 तक 73 ईंट भटटों का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। ऑफ सीजन होने के कारण उक्त सभी 73 भटटों में उत्पादन कार्य बंद पाया गया। 16 ईंट भटटों को जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पद्धति पर परिवर्तित कर लिया गया है। कुछ ईंट भटटो के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि वर्षा ऋतु के कारण जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पर परिवर्तन का कार्य बाधित हुआ है, जो कि आगामी सीजन में शुरू होने से पूर्व कर लिया जायेगा। उपरोक्त सभी 73 भटटों को नोटिस भी प्राप्त करा दिये गये है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु बरेली के क्षेत्रांर्गत स्थापित/संचालित समस्त ईंट भटटों को जिग–जैग/हाइड्रॉफ्ट पद्धति पर परिवर्तित कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैद्य सहमति जल एवं वायु प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालित किये जाने हेतु 03 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण,हिन्दुस्तान,अमर उजाला) में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2024 को प्रकाशित करायी गयी है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही:–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
10	**रोड डस्ट सस्पेंशन/सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना**		
	सडकों की साफ–सफाई की व्यवस्था व उनके किनारे स्थित वृक्षों पर पानी छिडकाव एवं यंत्रीकृत सफाई कराया जाना।	नगर निगम द्वारा रोड डस्ट सस्पेंशन को कम करने हेतु कार्य कराये जा रहे है जिसमें मुख्य सडकों पर सुबह शाम स्वीपिंग व पानी का छिडकाव किया जा रहा है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही:–पर्यावरण अभियंता नगर निगम व अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय
11	**वाहनों से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु किये गये उपायों की समीक्षा स्थिति**		
	प्रदूषणकारी वाहनों के सम्बन्ध में जन जागरूकता जागृति करना तथा दोषी वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा	माह अगस्त 2024 में 16 चालान माह तक कुल 311 चालान। माह में रू0 1.32 लाख कमिक– 3.84 लाख जुर्माना वसूल किया गया है।	समिति अवगत हुयी। **कार्यवाही:–पुलिस अधीक्षक यातायात**
12	मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 951/2024 राजपाल सिह बनाम एल्डिको व ओ0ए0 संख्या 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम एल्डिकों कम्पनी व अन्य के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में दिनांक 04-08-2024 व 05-08-2024 को प्रकरण में बैठक आयोजित कर कार्यवाही पृथक से की जा रही है तथा प्रकरण में संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त जांच हेतु दिनांक 10.09.2024 को निरीक्षण किया जा चुका है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही:–अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
13	परिवेशीय वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु ।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि आगामी शीत ऋतु में बरेली शहर परिवेशीय वायु गुणवत्ता (ए.क्यू.आई) को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाने हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा यू0पी0 निर्माण निगम,लोक निर्माण विभाग,नगर विकास विभाग,बरेली	समिति अवगत हुयी।

Scanned with OKEN Scanner

		विकास प्राधिकरण,नगर निगम बरेली,उत्तर प्रदेश जल निगम बरेली आदि द्वारा निर्माण कार्य एवं गडढा खुदान से जनित होने वाले धूल के कणों के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव,ग्रीन नेट कवर,स्कैप होल्डिंग,स्प्रिंकलर,स्मॉक गन आदि के समुचित व्यवस्थाएं स्थापित किया जाना आवश्यक है।	कार्यवाही:-नगर आयुक्त,सचिव बी0डी0ए0,अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0,अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम नगरीय/ग्रामीण।
14	बरेली शहर के अन्तर्गत मुख्य चौराहो पर जाम की समस्या के दृष्टिगत ध्वनि व वायु प्रदूषण को कम करने हेतु उपायो की समीक्षा।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि बरेली शहर के अन्तर्गत मुख्य चौराहो यथा-चौकी चौराहा, नवल्टी चौराहा, चौपला चौराहा पर वाहनो के अनियंत्रित आवागमन से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि व वायु प्रदूषण होता है एवं आम जनमानस की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पडता है।	समिति अवगत हुयी। कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली
15	बरेली शहर के अन्तर्गत श्यामगंज चौराहा ओवरब्रिज एंव चौपला चौराहा ओवरब्रिज के नीचे सौन्दर्यकरण किये जाने की समीक्षा।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि बरेली शहर के अन्तर्गत श्यामगंज चौराहा ओवरब्रिज एवं चौपला चौराहा ओवरब्रिज के नीचे काफी गडढे है और गंदगी रहती है जिससे वहां धूल उडती है जो कि वायु प्रदूषण में वृद्धि करती है। श्यामगंज पुल के नीचे डलावघर के आस-पास कूडा बिखरा हुआ रहता है। इनका निस्तारण कर सौदर्यीकरण कराये जाने कीं आवश्यता है।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम बरेली नगर क्षेत्र के ओवर ब्रिजों के नीचे सफाई कराये तथा सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। **कार्यवाही:-पर्यावरण अभियंता व नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बरेली/ सचिव बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।**
16	बरेली शहर के मुख्य प्रवेश द्वारों के साइड पर कूडा-कचरा एंव मृत जानवरों के फेंके गए अवशेष के निस्तारण के सम्वंध में समीक्षा।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि बरेली शहर के मुख्य प्रवेश द्वारो पर कूडा कचरा एवं मृत जानवरों के अवशेष पडे रहते है। इनका निस्तारण कर सौदर्यीकरण कराये जाने की आवश्यता है।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि :- नगर क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वारों पर जगह-जगह ठोस अपशिष्ट व मरे हुये पशुओ के अवशेष लोगो द्वारा फेंका जा रहा है,आगमी बैठक तक इस स्थान को साफ कराकर पौधारोपण करा दिया जायें। स्थल पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे इस्टॉल किये जाये तथा नोटिस बोर्ड लगाया जायें। **कार्यवाही:-नगर स्वास्थ्य अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली।**
17	सी0बी0 औद्योगिक क्षेत्र व परसाखेडा में प्रवाहित होने वाले नाले के बंद होने एवं प्रदूषित जल प्रवाहित होने के सम्बन्ध में।	प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि सी0बी0 औद्योगिक क्षेत्र व परसाखेडा में प्रवाहित होने वाला नाला चोक हो गया है जिस कारण आस-पास के क्षेत्र में गंद पानी भर रहा है और ऐनकेप में प्रस्तावित मियावाकी पौधारोपण का कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।	समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि :- चूकि क्षेत्र में मियांवाकी पौधारोपण NCAP के अन्तर्गत निश्चित है, अतः चोक नाले को तत्काल नगर निगम ठीक करायें, पौधारोपण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। **कार्यवाही:- नगर स्वास्थ्य अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।**
18	आगमी बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओ पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा की जायेगी। 1-जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन। 2-जनपद में प्रवाहित ड्रेन्स की सफाई 3-स्थापित/निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की समीक्षा। 4-फ्लड प्लेन एरिया का निर्धारण व शासन के निर्देशों के पालन की स्थिति। 5-औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जन के सम्बन्ध में समीक्षा (जल व वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में) लक्ष्य व प्राप्ति की समीक्षा। 6-बरेली शहर के अन्तर्गत ओवरब्रिज के नीचे सौदर्यीकरण की समीक्षा। 7- चीनी मिलो द्वारा प्लास्टिक पुर्नचकण के सम्बन्ध में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।		

Scanned with OKEN Scanner

...रोपण :– बिन्दुबार समीक्षा निम्न प्रकार की गयी।

...रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना:– प्रभागीय वनाधिकारी बरेली द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024 में प्राप्त वृक्षारोपण लक्ष्यों के सापेक्ष सफलतापूर्वक शतप्रतिशत [illegible] किया जा चुका है। अब रोपित पौधो की जीवितता सुनिश्चित करना महत्पूर्ण कार्य है। अतः वर्तमान वर्ष 2024 में रोपित किये किये पौधों की सिंचाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था [illegible] विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि रोपित पौधों की सिंचाई व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में पूर्व में विस्तृत दिशा–निर्देश सभी विभागों को निर्गत किये जा चुके हैं। जो पौधों मृत/नष्ट हो गये है उनके स्थान पर नये स्वस्थ्य पौधें बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करना। समस्त विभाग वर्ष 2024 में रोपित किये गये पौधों की जीवितता मानक अनुरूप 95 प्रतिशत तक सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व होगा। अतः रोपित किये गये पौधों की पर्याप्त सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायें।

2– अन्तर्विभागीय कॉस चैकिंग/सत्यापन :– वर्ष 2024 में रोपित पौधों का अन्तर्विभागीय सत्यापन माह सितम्बर 2024 से कराये जाने हेतु अन्तर्विभागीय जांच समिति का गठन किया जा चुका है। अतः समस्त सत्यापन अधिकारी आगमी 15 दिवस के अन्दर सत्यापन कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी बरेली को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

07/10/24

जिलाधिकारी
बरेली

कार्यालय जिलाधिकारी बरेली

पत्रांक 1552/18–1 (पर्यावरण समिति) दिनांक बरेली, 08/10/2024

प्रतिलिपि–सचिव,उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त,बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–समस्त सम्बंधित विभाग/सदस्य जिला पर्यावरण समिति,जनपद बरेली को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

07/10/

जिलाधिकारी
बरेली

ANNEXURE R5

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A No. 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अन्तर्गत गठित समिति की जांच आख्या :–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A No. 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में दिनांक 10.07.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

"1.... The complaint of the applicant is that Gata No. 508 of village Bilwa Pargana, Tehsil and District Bareilly is registered as a lake but the land mafia has illegally captured the lake and they are in the process of developing Eldico colony on that lake. Along with the letter, applicant has enclosed the reports by the revenue authorities clearly mentioning that the land admeasuring 0.1260 hectare, Gata No. 508, Khata No. 00309 (1428-1433F) category 6-1 is a water body which has been recorded as a lake. Though the reports enclosed with the letter states that there is no construction on the lake but this aspect has been disputed in the letter petition...."

2. The letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

3. Hence, we implead following as respondents in the matter:-

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary

(ii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (CZ), Lucknow

(iii) District Magistrate, Bareilly

(iv) Developer of Eldico Company through its Administrative Head (the details of Respondent No. 4 will be provided by the Respondent No. 3 and the Respondent No. 4 will be served through the Respondent No. 3)..."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा निम्न सम्बन्धित विभागों की समिति बनाकर स्थलीय निरीक्षण करने एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये –

1– राजस्व विभाग के प्रतिनिधि।
2– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के प्रतिनिधि।
3– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
4– बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के प्रतिनिधि।

उक्त आदेश के अनुपालन में समिति की बैठक की गई एवं बैठक के दौरान लिए गये निर्णय के अनुसार दिनांक 10.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है :–

<u>परियोजना का विवरण</u>। :–

परियोजना स्थल ग्राम बिलवा के खसरा संख्या–476पी, 477पी, 501पी, 502, 503पी, 504, 505, 506, 507, 509, 512पी एवं 513पी एवं ग्राम दोहना प्रीतम राय के खसरा संख्या 438, 439,440, 441 तथा ग्राम पिपरिया(घंघोरा) का खसरा संख्या–898 तहसील सदर जनपद बरेली में प्रस्तावित है।

स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण :–

1– उप जिलाधिकारी, सदर, बरेली द्वारा संयुक्त समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम बिलवा के खतौनी के खाता संख्या 0030 के गाटा नं0 508, जिसका क्षेत्रफल 0.126 हे0 है, वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में अंकित है, जोकि एल्डिको कम्पनी द्वारा अस्थाई रूप से बनाई गयी बाउन्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। झील में कुछ मात्रा में मकान आदि से जनित मलबा, मिट्टी (Construction and demolation waste) पड़ा हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि गाटा संख्या 508/0.126हे0 झील एल्डिको कम्पनी के वर्तमान स्वीकृत मानचित्र की सीमा के ठीक पास स्थित है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 508 कुल क्षेत्रफल 0.1260 जोकि झील के रूप में अंकित है। राजस्व विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गाटा संख्या 508/0.1260हे0 झील तक पहुँचने के लिए कोई मार्ग/चकरोड नहीं है, उक्त के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या की छायाप्रति संलग्नक– 01 पर संलग्न है।

स्थलीय निरीक्षण के समय एल्डिको कम्पनी के प्रतिनिधि श्री संदीप चावला, Vice President को मौखिक रूप से उक्त झील की भूमि का विनिमय कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का सुझाव दिया गया, जिससे झील को चहार दीवारी से बाहर स्थानांतरित किया जा सके।

2– उप जिलाधिकारी, सदर, बरेली द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त झील के आस–पास की भूमि भी एल्डिको कम्पनी द्वारा अधिग्रहित की गई है। झील के आस–पास की भूमि का गाटा संख्या 500, 503, 507 एवं 509 है, जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमि स्वामित्व के नाम से अंकित है।

3– बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के सदस्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त झील अर्थात गाटा सं0 508 बरेली विकास प्राधिकण द्वारा वर्तमान में स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित नहीं है एवं गाटा सं0 508 की भूमि वर्तमान में विकसित हो रही एल्डिको टाउनशिप के स्वीकृत मानचित्र का भाग नहीं है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का पत्र एवं मानचित्र की छायाप्रति संलग्नक–02 पर संलग्न है।

4– उ0प्र0 राज्य वैटलैण्ड प्राधिकरण, बरेली के सदस्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त झील एल्डिको टाउनशीप द्वारा विकसित टाउनशिप की सीमा के बाहर स्थित है। झील बहुत छोटी है, जो कि जनपद बरेली की वैटलैण्ड सूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं है। पत्र की छायाप्रति (संलग्नक– 03)

(सुनील सिंह चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड
बरेली।

(वैभव चौधरी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
वन विभाग, बरेली।

(अनिल कुमार)
सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

(गोविन्द मौर्य)
उप जिलाधिकारी
सदर, बरेली।

14/09/24
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बरेली।

Validate wetlands

Sr.no.	ID	Name	district	Lat	Long	Area
1	UP003598	Khulitaharpur	BAREILLY	28.18798	79.27087	4.62
2	UP003599	SIRSA BICHURAIYA	BAREILLY	28.21374	79.35662	
3	UP003600	Kyara	BAREILLY	28.25078	79.41821	3.49
4	UP003601	mahmodpur	BAREILLY	28.2558	79.69058	10.95
5	UP003602	sathrapur	BAREILLY	28.26477	79.49518	4.54
6	UP003603	Bisaria	BAREILLY	28.26818	79.71983	23.5
7	UP003604	AMARTA ILLAKA BUDUALI	BAREILLY	28.27573	79.69718	
8	UP003605	MANONA BADA TALAB	BAREILLY	28.2817	79.1367	
9	UP003606	Bisaria	BAREILLY	28.28478	79.71536	28.34
10	UP003607	bhadurpur karor	BAREILLY	28.29448	79.51326	2.76
11	UP003608	AKHA	BAREILLY	28.29455	79.35958	
12	UP003609	KASUMRA	BAREILLY	28.29613	79.09925	
13	UP003610	DHILWARI	BAREILLY	28.29754	79.12365	
14	UP003611	parsauna	BAREILLY	28.30648	79.46208	4.11
15	UP003612	Padarathpur	BAREILLY	28.31417	79.48705	6.63
16	UP003613	Thiriya Nizawat khan	BAREILLY	28.31726	79.46181	4.14
17	UP003614	Alampur Gajraula	BAREILLY	28.32305	79.50605	3.92
18	UP003616	Asua	BAREILLY	28.36801	79.68374	67.84
19	UP003617	swale nagar	BAREILLY	28.37229	79.38549	10.89
20	UP003619	kitkapur urf kutubpur	BAREILLY	28.42061	79.59444	53.49
21	UP003620	SUNDRI	BAREILLY	28.42975	79.63775	
22	UP003621	LEELOR LAKE	BAREILLY	28.44807	79.04609	
23	UP003622	BADEPURA NIKAT KOH	BAREILLY	28.45121	79.54666	14.14
24	UP003623	UDRANPUR	BAREILLY	28.46926	79.55369	
25	UP003624	Hurhuri	BAREILLY	28.50035	79.23848	3.81
26	UP003625	Gohana	BAREILLY	28.51231	79.31118	7.26
27	UP003626	Meeranagar urf Naugawan	BAREILLY	28.513	79.25577	3.59
28	UP003627	NAGARIA SADAT	BAREILLY	28.55594	79.20881	1.86
29	UP003628	Turaspatti	BAREILLY	28.57115	79.36401	3.24
30	UP003629	sukali	BAREILLY	28.57415	79.27654	8.59
31	UP003630	Himkarpur chamraua	BAREILLY	28.59522	79.51543	4.17
32	UP003631	Biria Banke udara	BAREILLY	28.62836	79.51446	11.84
33	UP003632	Jamunia	BAREILLY	28.64228	79.56166	8.14
34	UP003633	Manpur	BAREILLY	28.64522	79.37261	3.46
35	UP003634	Tanda	BAREILLY	28.64718	79.36447	5.1
36	UP003635		BAREILLY	28.66354	79.36192	9.16
37	UP003636	MOHANPUR	BAREILLY	28.67753	79.51164	1.5
38	UP003637	Lakimpur	BAREILLY	28.68629	79.32232	9.41
39	UP003638		BAREILLY	28.71647	79.46001	2.97
40	UP003639		BAREILLY	28.73537	79.47762	3.94
41	UP003640		BAREILLY	28.77543	79.59529	4.51
42	UP003641	Pachpera	BAREILLY	28.79136	79.60687	3.61
43	UP003642	Chhitauna Mallpur	BAREILLY	28.86353	79.62625	17.7
44	UP003643	Nagria Nouram Chandra Mustkil	BAREILLY	28.04431	79.50794	107.36
45	UP003644	Lahi khera	BAREILLY	28.07115	79.64004	7.15
46	UP003645	Khani Nawada	BAREILLY	28.09734	79.51963	15.06
47	UP003646	Simaura	BAREILLY	28.15816	79.65155	8.66
48	UP003647	Madhia Bhagwantpur	BAREILLY	28.15823	79.59334	6.14
49	UP003648	Madhia Bhagwantpur	BAREILLY	28.15832	79.60484	5.81
50	UP003649	Pachuani	BAREILLY	28.16865	79.58692	6.19
51	UP003650	Kiratpur Dheera	BAREILLY	28.18777	79.6075	3.36
52	UP003651	Nagaria Vikram	BAREILLY	28.19302	79.58949	3.14
53	UP003652	Nagaria Vikram	BAREILLY	28.19883	79.60017	6.33
54	UP003653	Nagaria vikram	BAREILLY	28.2002	79.60165	3.71
55	UP003654	Bilaha ilaka Nagaria	BAREILLY	28.20036	79.64075	10.87
56	UP003655	Tanda sikandarpur	BAREILLY	28.20421	79.57423	5.97
57	UP003656	Bisipura	BAREILLY	28.21171	79.64077	23.29
58	UP003657	Dalpura	BAREILLY	28.25446	79.57884	6.44
59	UP003658	Nawadia kunjan	BAREILLY	28.26413	79.71459	16.39
60	UP003659	Bisaria	BAREILLY	28.28023	79.71707	18.84
61	UP003660	Athana	BAREILLY	28.29234	79.67739	123.58
62	UP003661	Chaubari	BAREILLY	28.29466	79.39267	5.32

63	UP003662	khajuhai Ethmali	BAREILLY	28.30174	79.32625	53.95
64	UP003663	Radhupur	BAREILLY	28.31522	79.64583	5.2
65	UP003664	Bheekampur	BAREILLY	28.32834	79.27878	24.42
66	UP003665	GOPALPUR	BAREILLY	28.35155	79.65093	3.83
67	UP003666	Gainee	BAREILLY	28.35529	79.27683	3.54
68	UP003667	Madauna urf Patparaganj	BAREILLY	28.36143	79.2334	2.29
69	UP003668	DHANI JAGIR	BAREILLY	28.37115	79.65896	13.79
70	UP003669	Jaitpura	BAREILLY	28.43075	79.21885	4.95
71	UP003670	Mohammadganj Ehatmali	BAREILLY	28.43391	79.25128	20.85
72	UP003671	AMIN NAGAR	BAREILLY	28.45656	79.76334	3.6
73	UP003672	Biharipur	BAREILLY	28.46673	79.25866	21.53
74	UP003673	Asad Nagar	BAREILLY	28.47098	79.17818	5.43
75	UP003674	Pahuncha Buzurg Mustkil	BAREILLY	28.48373	79.2345	6.99
76	UP003675	Tatarpur	BAREILLY	28.50135	79.12307	31.03
77	UP003676	Shamaspur	BAREILLY	28.51244	79.12864	4.23
78	UP003677	Raiya Nagla	BAREILLY	28.53554	79.14963	9.45
79	UP003678	Shahi	BAREILLY	28.54499	79.32095	6.59
80	UP003679	Sidhauli	BAREILLY	28.56251	79.24722	3.48
81	UP003680	MUJHENA JAGIR	BAREILLY	28.56742	79.52706	9.74
82	UP003681	Rajpura	BAREILLY	28.66347	79.34542	11.44
83	UP003683	Chandokha pahilad kham	BAREILLY	28.08927	79.51027	17.25
84	UP003684	KHALLPUR	BAREILLY	28.14209	79.47795	
85	UP003685	Dhakia	BAREILLY	28.25276	79.39248	3.35
86	UP003686	Dhakia	BAREILLY	28.25837	79.39637	29.59
87	UP003687	Lalpur	BAREILLY	28.26843	79.40831	43.88
88	UP003688	Akha atmali	BAREILLY	28.30031	79.35974	11.26
89	UP003689	Kareli	BAREILLY	28.31425	79.39558	9.37
90	UP003690	Sarai talfi Mustqil	BAREILLY	28.35014	79.37217	33.76
91	UP003691	Ainthpur	BAREILLY	28.36596	79.30747	83.25
92	UP003692	Gautha	BAREILLY	28.36628	79.31984	13.98
93	UP003693	Madhopur Khalsa	BAREILLY	28.37589	79.34072	68.07
94	UP003694	Bidhauliya	BAREILLY	28.38564	79.38729	2.53
95	UP003695	GOVINDPUR	BAREILLY	28.40728	79.40212	1.5
96	UP003696	MEERAPUR	BAREILLY	28.41482	79.31145	15
97	UP003698	sikha	BAREILLY	28.45212	79.17095	80.74
98	UP003699	Karanpur	BAREILLY	28.45614	79.2634	41.12
99	UP003700	MOHALLA NUGMA FATEHGANJ	BAREILLY	28.45756	79.27213	0.1
100	UP003701	sikha	BAREILLY	28.45816	79.16215	32.02
101	UP003702	Divana	BAREILLY	28.45915	79.26727	3.28
102	UP003703	Kashinathpur mustakil	BAREILLY	28.4687	79.18629	55.13
103	UP003704	ABHYPUR	BAREILLY	28.47182	79.44006	1
104	UP003705	Dhimarpatti	BAREILLY	28.492	79.10594	10.47
105	UP003706	Shahpur etmali	BAREILLY	28.49769	79.09907	23.33
106	UP003707	Dhimarpatti	BAREILLY	28.50209	79.10813	15.49
107	UP003708	Kulcha Gauntia	BAREILLY	28.51588	79.29383	7.78
108	UP003709	Deorania jagir	BAREILLY	28.57762	79.51584	8.86
109	UP003710	Bairamnagar	BAREILLY	28.63062	79.31599	3.43
110	UP003711		BAREILLY	28.74613	79.437	4.2
111	UP003712	Amkhera	BAREILLY	28.79786	79.63284	3.39
112	UP003713	NABAB NAGAR	BAREILLY	28.86097	79.44127	
113	UP003714	Chandokha phalilad pukhta	BAREILLY	28.0781	79.5215	7.76
114	UP003716	SITARGANJ	BAREILLY	28.15929	79.49335	
115	UP003717	KAPOORPUR	BAREILLY	28.17044	79.46534	
116	UP003718	Jotpur	BAREILLY	28.18828	79.61725	7.16
117	UP003719	NORANGPUR	BAREILLY	28.19135	79.3355	
118	UP003720	SIKORA	BAREILLY	28.19173	79.39791	
119	UP003721	KATKABHARART	BAREILLY	28.19775	79.34337	
120	UP003722	SHAKARPUR	BAREILLY	28.20048	79.31928	
121	UP003723	DHANORA	BAREILLY	28.20168	79.38616	
122	UP003724	saripur	BAREILLY	28.20231	79.46026	3.87
123	UP003725	Hadauria	BAREILLY	28.22606	79.42068	14.1
124	UP003726	Dhaurera	BAREILLY	28.23347	79.61593	4.73
125	UP003727	DEVCHARA	BAREILLY	28.23581	79.31489	
126	UP003728	Maholia patti karor	BAREILLY	28.23662	79.68964	3.85
127	UP003729	Maholia patti karor	BAREILLY	28.24224	79.69908	4.81
128	UP003730	karutal	BAREILLY	28.24533	79.19545	6.44

129	UP003731	saidullaganj	BAREILLY	28.28645	79.23151	3.7
130	UP003732	JAITPUR SARIFPUR	BAREILLY	28.30384	79.29548	
131	UP003733	Naryaval wetland	BAREILLY	28.32371	79.47203	6.75
132	UP003734	JANGTEERA	BAREILLY	28.3403	79.06303	
133	UP003735	Kakra kala	BAREILLY	28.34321	79.71613	6.18
134	UP003736	Kuiya Rampur	BAREILLY	28.3472	79.6995	4.85
135	UP003738	Kaini shivnagar	BAREILLY	28.40317	79.23717	2.34
136	UP003739	LEELOR JHEEL	BAREILLY	28.44714	79.0518	
137	UP003740		BAREILLY	28.45235	79.65029	26.3
138	UP003741	Hazipur	BAREILLY	28.46592	79.14806	2.87
139	UP003742	sirodhi angadpur	BAREILLY	28.46719	79.20138	7.85
140	UP003743	BADBADAPURAAPURA AHIB MANDIR	BAREILLY	28.47095	79.77194	3.68
141	UP003744	GANGAPUR	BAREILLY	28.48684	79.66922	
142	UP003745		BAREILLY	28.51585	79.65391	14.98
143	UP003746	Mansoorganj	BAREILLY	28.51622	79.29997	10.17
144	UP003747	Junahai mustakil	BAREILLY	28.52793	79.2891	4.88
145	UP003748	chakarpur urf lamkhan	BAREILLY	28.54147	79.31735	7.25
146	UP003749	kamua makruka	BAREILLY	28.55773	79.453	3.41
147	UP003750	Maheshpur Shivsingh	BAREILLY	28.56569	79.4796	2.88
148	UP003751	Samaspur Milak	BAREILLY	28.56833	79.43494	2.76
149	UP003753	Bhairpur khajuriya	BAREILLY	28.5773	79.47107	3.89
150	UP003754	Sendra Semikheda	BAREILLY	28.5789	79.48016	4.25
151	UP003755	Dungarpur	BAREILLY	28.59704	79.33058	7.23
152	UP003757	Bhamaura	BAREILLY	28.60001	79.31129	2.36
153	UP003758	Nagariya kalan	BAREILLY	28.66196	79.34022	3.52
154	UP003759	Arsia bhoj	BAREILLY	28.7485	79.66032	9.84
155	UP003760	Uganpur	BAREILLY	28.78967	79.66446	7.27
156	UP003762	LAXMIPUR	BAREILLY	28.81476	79.47839	
157	UP003763	Rai Nawada	BAREILLY	28.83283	79.60532	5.78
158	UP003764	Latholi Kalan	BAREILLY	28.10037	79.55883	5.26
159	UP003765	Faridpur Nagar panchayat	BAREILLY	28.21444	79.546	3.55
160	UP003766	Sendha Chapat Aonla	BAREILLY	28.22985	79.23957	13.2
161	UP003767	MAJNUPUR	BAREILLY	28.27017	79.33791	
162	UP003768	BHAGODA KHERA	BAREILLY	28.31068	79.11333	
163	UP003769	sadar Bazar cantt	BAREILLY	28.3149	79.43295	8
164	UP003770	Umedpur bhuta	BAREILLY	28.32592	79.59952	3.48
165	UP003771	Hziyapur wetland	BAREILLY	28.3722	79.4392	7.19
166	UP003773	RUKHADE GRAM	BAREILLY	28.41418	79.15718	
167	UP003774	Manhera	BAREILLY	28.45375	79.46724	7.05
168	UP003775	PARAURA	BAREILLY	28.51983	79.21983	1.85
169	UP003776	khanpur wetland	BAREILLY	28.52244	79.40143	2.48
170	UP003777	meerganj Wetland	BAREILLY	28.53746	79.20523	2.86
171	UP003778	FAZILPUR	BAREILLY	28.55093	79.57228	3.25
172	UP003779	Atapatti januvi	BAREILLY	28.55311	79.45924	2.55
173	UP003780	Bhagautipur	BAREILLY	28.58245	79.40097	3.75
174	UP003781	Dhauratanda Wetland	BAREILLY	28.58941	79.38393	3.06
175	UP003783	Shishhgarh Wetland	BAREILLY	28.64247	79.32176	2.34
176	UP003784	FATEHGANJ	BAREILLY	28.08542	79.63782	
177	UP003785	SIMRA	BAREILLY	28.10184	79.60353	
178	UP003786	HARELA	BAREILLY	28.11414	79.62323	
179	UP003787	Iffco township near Wetland	BAREILLY	28.20824	79.25027	6.56
180	UP003788	Faridpur Pachauni wetland	BAREILLY	28.20832	79.61585	4.17
181	UP003789	KATSARI	BAREILLY	28.21144	79.12376	
182	UP003790	Fareedpur wetland	BAREILLY	28.21866	79.67239	4.9
183	UP003791	Khateli	BAREILLY	28.21905	79.68098	2.45
184	UP003792	Bhanpur	BAREILLY	28.22871	79.62018	2.28
185	UP003793	Badra kasampur, Faridpur	BAREILLY	28.2297	79.63618	2.53
186	UP003794	Shahjanpur budhauli	BAREILLY	28.23246	79.65147	4.66
187	UP003795	Bebal barkatpur	BAREILLY	28.2441	79.68679	17.57
188	UP003796	Panwadiya	BAREILLY	28.24483	79.16745	3.98
189	UP003797	Zed	BAREILLY	28.24502	79.52374	8.37
190	UP003798	Zed	BAREILLY	28.24502	79.52374	8.37
191	UP003799	Majhaua hetram	BAREILLY	28.25937	79.56771	5.17
192	UP003800	Athana	BAREILLY	28.2844	79.67295	10.34
193	UP003801	Nagariya satan	BAREILLY	28.29067	79.18108	7.99
194	UP003802	Kareli	BAREILLY	28.31149	79.40867	7.4

195	UP003803	Mehtarpur carore	BAREILLY	28.31309	79.52388	3.14
196	UP003804	Mehtarpur karor	BAREILLY	28.31309	79.52388	3.14
197	UP003805	CANHETI	BAREILLY	28.31373	79.4283	25
198	UP003806	Daulatpur karena	BAREILLY	28.31606	79.63197	12.57
199	UP003807	Subhash nagar	BAREILLY	28.32485	79.41059	34.81
200	UP003808	Urla jageer	BAREILLY	28.32528	79.4813	5.73
201	UP003809	Rupiyapur	BAREILLY	28.32737	79.68562	5.68
202	UP003810	Subhas nagar	BAREILLY	28.32737	79.40655	35.12
203	UP003811	Khandsara	BAREILLY	28.33681	79.70235	4.38
204	UP003812	Magarsa	BAREILLY	28.3411	79.68101	8.57
205	UP003813	BHEEMLOR RASULPUR	BAREILLY	28.36683	79.16196	
206	UP003815	KATTAYYA BALDEV SINGH	BAREILLY	28.41837	79.63596	
207	UP003816	ARAZI VYODHAN VUJURG	BAREILLY	28.41956	79.03766	
208	UP003819	Rithaura	BAREILLY	28.45568	79.5097	3.68
209	UP003820	UDRUN PUR LEHA	BAREILLY	28.47257	79.55043	
210	UP003821	Makrandpur pitamray	BAREILLY	28.4986	79.49105	2.79
211	UP003822	Hansa	BAREILLY	28.54256	79.47072	2.64
212	UP003823	KHIDARPUR	BAREILLY	28.5452	79.55877	11.6
213	UP003825	Dandiya dayaram	BAREILLY	28.54697	79.47113	4.95
214	UP003827	Gurganwa	BAREILLY	28.57025	79.55723	12.54
215	UP003828	Dhaura tanda	BAREILLY	28.57196	79.42625	9.55
216	UP003829	Bhairpur khajuriya	BAREILLY	28.57393	79.46697	13.95
217	UP003830	Jataua	BAREILLY	28.58111	79.42108	3
218	UP003831	zianagla	BAREILLY	28.59414	79.34594	4.43
219	UP003832	Devraniya	BAREILLY	28.63432	79.47275	14.75
220	UP003833		BAREILLY	28.66103	79.62323	9.39
221	UP003834		BAREILLY	28.66843	79.61541	3.62
222	UP003835	Faridpur nagar panchayat	BAREILLY	28.74389	79.67707	4.04
223	UP003836		BAREILLY	28.77666	79.50869	2.95
224	UP003837	Pachpeda	BAREILLY	28.79297	79.60326	4.74
225	UP003838		BAREILLY	28.73607	79.56768	4.21

Not Validiate

226	UP003615	KUYABRAMBSHAYE	BAREILLY	28.3629	79.70117	17.62
227	UP003618	C B GANJ	BAREILLY	28.39867	79.37376	
228	UP003682	AMBER PUT	BAREILLY	28.63699	79.49752	
229	UP003697	RAFIABAD	BAREILLY	28.41891	79.31662	
230	UP003752		BAREILLY	28.5735	79.46398	3.7
231	UP003756	DALPATPUR	BAREILLY	28.60206	79.46845	
232	UP003761	KHATOLA	BAREILLY	28.81443	79.51985	
233	UP003772	C B GANJ BAZAR	BAREILLY	28.40202	79.37283	
234	UP003782	BHU HA PUR	BAREILLY	28.6272	79.44999	
235	UP003814	BHOUA BAJAR	BAREILLY	28.40345	79.69301	
236	UP003817	ANAND PUR LEKHRAJ	BAREILLY	28.42429	79.69675	
237	UP003818		BAREILLY	28.43536	79.54228	5.72
238	UP003824	KHIJARPUR	BAREILLY	28.5457	79.55887	0
239	UP003826	GURGAWAN	BAREILLY	28.57028	79.55692	0

Over lap

240	UP003715	KAROTA RAMPURA	BAREILLY	28.11499	79.63604	
241	UP003737	ASUA	BAREILLY	28.37661	79.68811	